SACHCHA RAHI • ISSN 2582-4007 • VOL 21 • ISSUE 10 • DECEMBER 2022

हिन्दी मासिक

दिसम्बर 2022

सच्चा राही

लखनऊ

सामाजिक एवं साहित्यिक

समाज की चिन्ता

किसी समाज के लिये सबसे बड़ा ख़तरा यह है कि उसके अन्दर ज़ुल्म का मिज़ाज पैदा हो जाये और इससे अधिक ख़तरनाक बात यह है कि अत्याचार की प्रवृत्ति को नापसन्द करने वाले उस समाज में बहुत ही कम या नहीं के बराबर हों।

अगर इस देश को और स्वयं अपने आप को तबाही से बचाना है तो आप इन दो दुश्मनों का मुक़ाबला करने के लिए तैयार हो जायें – एक रिश्वतख़ोरी, दौलत की हद से बढ़ी हुई हिर्स, दूसरे हिंसा व आतंकवाद।

(हज़रत मौलाना अली मियाँ नदवी रह.)

एक प्रति ₹ 30/=

वार्षिक ₹ 300/=

सरपरस्त
हज़रत मौलाना सै० मुहम्मद राबे हसनी नदवी
नाज़िम नदवतुल उलमा, लखनऊ

सम्पादक
मु0 गुफ़रान नदवी
उप सम्पादक
जमाल अहमद नदवी

कार्यालय
मासिक सच्चा राही
पोस्ट बॉक्स नं0 93
नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग,
लखनऊ – 226007
☎ 0522–2740406 (8:00 am to 1:00 pm)
E-mail: sachcharahi2002@gmail.com
http://sachcha-rahi.nadwa.in/
www.nadwatululema.org

सहयोग राशि

एक प्रति	₹ 30/-
वार्षिक	₹ 300/-
विदेशों में (वार्षिक) 50 यु.एस. डॉलर	

चेक/ड्राफ्ट पर यह लिखें
SACCHA RAHI

SACCHA RAHI
A/c. No. 10863759642
IFS Code: SBIN0000125
Swift Code: SBINNB157
State Bank of India,
Main Branch, Lucknow.

कृप्या पैसा जमा करने के बाद दफ़्तर के फोन नम्बर अथवा ई–मेल पर खरीदारी नम्बर के साथ अवश्य सूचित करें।

हिन्दी मासिक
सच्चा राही
सामाजिक एवं साहित्यिक लखनऊ
SACHCHA RAHI.ISSN 2582-4007
दिसम्बर 2022 वर्ष 21 अंक 10

तबलीग़ की अहमियत

तबलीग़ व दावत, भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना इस्लाम के शरीर की रीढ़ की हड्डी है इस पर इस्लाम की बुनियाद, इस्लाम की शक्ति, इस्लाम की विशालता, और इस्लाम की सफलता निर्भर है और आज सब ज़माने से बढ़ कर, इस की ज़रूरत है और ग़ैर मुस्लिमों को मुसलमान बनाने से ज़ियादा अहम काम मुसलमानों को मुसलमान, नाम के मुसलमानों को काम का मुसलमान और क़ौमी मुसलमानों को दीनी मुसलमान बनाना है, सच यह है कि आज मुसलमानों की हालत देख कर, कुर्आन पाक की यह पुकारः "ऐ मुसलमानों! मुसलमान बनों" को पूरे ज़ोर व शोर से बलन्द किया जाए, नगर नगर, गाँव–गाँव और दर–दर फिरकर मुसलमानों को मुसलमान बनाने का काम किया जाए, इस राह में भरपूर कोशिश की जाए।

(अल्लामा सय्यद सुलैमान नदवी रह0)

आपके पते के साथ जो खरीदारी नम्बर है अगर उसके नीचे लाल या काली लाइन है तो समझें कि आपका सालाना चन्दा ख़त्म हो चुका है। अतः आप जल्द ही अपना चन्दा भेजने का कष्ट करें। आप अपना पैसा दिये गये बैंक खाते में भी जमा कर सकते हैं। अथवा मनीआर्डर से भी भेज सकते हैं। मनीआर्डर के कूपन पर अपने खरीदारी नम्बर के साथ मोबाइल नम्बर अवश्य लिखें।

मुद्रक एवं प्रकाशक अतहर हुसैन द्वारा काकोरी आफसेट प्रिंटिंग प्रेस से मुद्रित एवं दफ्तर सच्चा राही नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग, लखनऊ से प्रकाशित।
Designing & Composing by: Qamaruzzama-9452295052

विषय एक दृष्टि में

कुर्आन की शिक्षा	मौलाना बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी	05
प्यारे नबी की प्यारी बातें	मौलाना हकीम सै0 अब्दुल हई हसनी रह0	07
आज़ाद हिन्दुस्तान	मुहम्मद गुफ़रान नदवी	09
दीनी व दुनियावी ज़िन्दगी	हज़रत मौ0 सय्यद मुहम्म राबे हसनी नदवी	10
इस्लामी अक़ीदे	मौलाना बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी	11
भारत के अतीत में मुस्लिम	सैय्यद सबाहुद्दीन अब्दुर्रहमान	13
अच्छे व्यवहार की शिक्षा	मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी रह0	17
आपके प्रश्नों के उत्तर	मुफ़्ती मुहम्मद ज़फ़र आलम नदवी	21
निरन्तर मेहनत, सफलता की कुंजी	मुहम्मद गुफ़रान नदवी	23
मुहब्बत हमें उन जवानों से है	जमाल अहमद नदवी	25
मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य	नजमुस्साक़िब अब्बासी नदवी	26
घरेलू मसायल	मौलाना मुहम्मद बुरहानुद्दीन संभली रह0	28
नफ़रत की खेती में मीडिया	प्रो0 डॉ0 हैदर अली खाँ	30
प्रमुख इतिहासकार उड़ीसा	इं0 जावेद इक़बाल	33
इस्लाम के अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक	अबू मो0 आमिर नदवी	35
जाड़ा और गर्मी	सईदा मतलूब	37
लहसुन खाएं	डॉ0 चारू बागा	40
अंतर्राष्ट्रीय समाचार	अबू मोहम्मद आमिर नदवी	41
अपील बराए तामीर स्टॉफ क्वाटर्स	इदारा	42

क़ुर्आन की शिक्षा

मौलाना बिलाल अ़ब्दुल ह़ई हसनी नदवी

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

सूर-ए-यूनुसः-

अनुवाद–

बेशक जो हमारी मुलाक़ात की उम्मीद नहीं रखते और वे दुनिया की ज़िन्दगी में मगन और उसी पर संतुष्ट हो गये और जो हमारी आयतों (निशानियों) से बे परवाह हैं(7) ऐसे लोगों ही का ठिकाना उनकी कर्तूतों के कारण दोज़ख़ है[1](8) हाँ जो ईमान लाये और उन्होंने अच्छे काम किये उनका पालनहार उनके ईमान के ज़रिये नेमतों की जन्नतों में पहुँचा देगा उनके नीचे से नहरें जारी होंगी(9) उसमें उनकी पुकार यह है कि ऐ अल्लाह तू पवित्र है और (आपसी मुलाकात की) दुआ, ''सलाम'' होगी और उनकी आखिरी पुकार यह होगी कि अस्ल प्रशंसा उस अल्लाह के लिए है जो सारे संसारों का पालनहार है[2](10) और जिस तरह लोग भलाई की जल्दी मचाते हैं अगर अल्लाह उसी तरह बुराई में जल्दी कर दे तो उनका काम ही तमाम हो जाए बस जो लोग हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते हम उनको उनकी सरकशी में भटकता हुआ छोड़ देते हैं[3](11) और जब इंसान को तकलीफ पहुँचती है तो वह लेटे या बैठे या खड़े हुए हमें पुकारता है फिर जब हम उसकी तकलीफ़ दूर कर देते हैं तो ऐसा हो जाता है कि मानो उसने हमको उस तकलीफ में पुकारा ही न था जो उसे पहुँचती थी, इसी तरह हद से बढ़ने वालों के लिए उनके कामों को सुहावना बना दिया जाता है(12) और बेशक तुम से पहले भी नस्लों को जब उन्होंने अत्याचार किया हमने नष्ट कर डाला जब कि उनके पास उनके पैग़म्बर खुली निशानियां ले आए और वे ईमान वाले थे ही नहीं, अपराधी को हम ऐसी ही सज़ा दिया करते हैं[4](13) फिर हमने उनके बाद तुमको धरती में नायब बनाया ताकि हम देखें कि तुम कैसे काम करते हो[5](14) और जब उनके सामने हमारी खुली हुई आयतें पढ़ी जाती हैं तो जिनको हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं वे कहते हैं इसके अलावा कोई और कुरआन लाओ या इसी को बदल डालो, आप कह दीजिए कि यह मेरा काम नहीं कि मैं इसको अपनी ओर से बदल दूँ मैं तो उसी पर चलता हूँ जो मुझ पर वह्य आती है, अगर मैंने अपने पालनहार की बात न मानी तो निश्चित रूप से मुझे बड़े दिन के अज़ाब का डर है(15) कह दीजिए अगर अल्लाह चाहता तो न मैं तुम्हारे सामने इसको पढ़ कर सुनाता और न वह तुम्हें इससे अवगत कराता, फिर मैं इससे पहले तुम्हारे बीच एक उम्र गुज़ार चुका हूँ फिर भी तुम बुद्धि से काम नहीं लेते(16) तो उससे बढ़ कर अत्याचारी कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बाँधे या उसकी आयतों को झुठलाए, अपराधी कभी सफ़ल नहीं हो सकते[6](17) और वे अल्लाह को छोड़ कर ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नुक़सान पहुँचा सकते हैं और न उनको फ़ायदा पहुँचा सकते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के पास यह सब हमारी सिफ़ारिश करने वाले हैं कह दीजिए कि क्या तुम अल्लाह को उस चीज़ की सूचना दे रहे हो जो आसमानों

और ज़मीन में वह नहीं जानता, जो कुछ वे शरीक करते हैं वह उससे पवित्र है और बहुत बुलन्द है(18) और लोग तो सब एक ही उम्मत (समुदाय) थे फिर वे अलग अलग हो गए और अगर अल्लाह की ओर से निश्चित बात न हुई होती तो जिन चीज़ों में वे विरोध कर रहे हैं उसका फैसला ही हो जाता(19) और वे कहते हैं कि उन पर उनके पालनहार के पास से कोई निशानी क्यों न उतरी, तो आप कह दीजिए कि छिपी बातें अल्लाह ही के अधिकार में हैं तो तुम इन्तिज़ार करो मैं भी तुम्हारे साथ इन्तिज़ार में हूँ(20)।

तफ़्सीर (व्याख्या):–

1. यानी जो अल्लाह की निशानियों पर उसकी शक्ति पर विचार नहीं करते और सच्चे दिल से नहीं सोचते उनका अंजाम बुरा ही होता है।

2. ईमान लाने वाले और अच्छे काम करने वाले जन्नतों में होंगे ओर वहाँ की नेमतों को देख कर बार बार "सुब्हानल्लाह" कहेंगे और जब भी किसी नेमत को देख कर "सुब्हानल्लाह" कहेंगे तो वह नेमत प्रस्तुत कर दी जाएगी तो अल्लाह की तारीफ़ करेंगे और मुलाकात के समय आपस में एक दूसरे को सलाम करेंगे।

3. यानी जिस प्रकार अच्छाई में जल्दी होती है उसी प्रकार अल्लाह पकड़ शुरु कर दे तो सब ही समाप्त हो जाएं लेकिन वह समय देता है कि सुधार करने वाले सुधार कर लें और बुरे लोग असावधानी में पड़े रह कर शरारत की सारी सीमाएं लांघ जाएं।

4. इंसान का हाल यह है कि जब तक मुसीबत रही हर हाल में अल्लाह को पुकारता रहा और जब मुसीबत दूर हुई तो सब कुछ कहा भूल गया, वही घमण्ड व आसावधानी रह गई जिसमें पहले पड़ा था।

5. पैग़म्बरों के आने के बाद भी जब उन्होंने सरकशी की और ईमान न लाए तो उनको सज़ा मिली, अब आगे तुम्हारी बारी है अब देखना है कि तुम क्या करते हो।

6. मक्के के वासी कुरैश पवित्र कुरआन के नैतिक आदेशों से प्रभावित होते थे लेकिन जब उनके झूठे पूज्यों को असत्य बताया जाता और तौहीद का आदेश दिया जाता तो उनको अच्छा न लगता था तो वे कहते कि या तो दूसरा कुरआन ले आओ या यह भाग बदल डालो, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ओर से उत्तर दिया जा रहा है कि मैं एक अवधि तुम में गुज़ार चुका, सादिक व अमीन (सच्चे व विश्वसनीय) कहते कहते तुम्हारी ज़बानें न थकती थीं तो क्या तुम इसकी आशा करते हो कि मैं अल्लाह के संबंध में झूठ गढ़ूँगा, जब यह अल्लाह की वाणी है तो इसमें परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, यह तो सबका सब इसीलिए है कि इसका अनुसरण किया जाए, यह मुझ पर भी अनिवार्य है और तुम पर भी, इसमें परिवर्तन का मुझे अधिकार नहीं और उससे बड़ा झूठा और कौन होगा जो अल्लाह के कलाम (वाणी) को बदले, आगे सावधान करने के लिए फिर शिर्क का इनकार किया जा रहा है इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि अल्लाह की वाणी जो है वैसी ही सुनाई जाएगी यही सच्चा रास्ता है किसी को बुरा लगता है तो खुद अपनी कमी पर विचार करे, फिर उसके बाद स्पष्टीकरण है कि सब ही तौहीद के सत्यमार्ग पर थे फिर भटक गये अल्लाह को यही करना था वरना शुरु में ही भटकने वालों को मिटा दिया जाता, अंतिम आयत में उन लोगों का जवाब है जो मुअ्जिजों की मांग किया करते थे यह सब अल्लाह ही की ओर से है मुझे इसमें कुछ अधिकार नहीं तुमको शौक़ हो तो इन्तिज़ार करो मैं भी देखता हूँ। ◆◇◆

प्यारे नबी की प्यारी बातें

मौ0 हकीम सै0 अब्दुल हई हसनी रह0

मेहनत व मज़दूरी और हाथ की कमाई का बयानः–

अल्लाह तआला का इरशाद है–

भावार्थ–

फिर जब नमाज़ हो जाये तो अपनी–अपनी राह लो और खुदा का फज़्ल (रोज़ी–रोटी) तलाश करो, और खुदा को बहुत याद करते रहो ताकि नजात (मुक्ति) पाओ। (अल–जुमअः–10)

दूसरी जगह इरशाद हैः–

भावार्थ–

और अल्लाह ने तो खरीद व फरोख़्त (क्रय–विक्रय) को हलाल किया है और ब्याज को हराम किया है। (अल बकरः275)

अल्लाह का इरशाद हैः–

भावार्थ–

ऐसे लोग हैं जिनको खुदा की याद से न सौदागारी बेखबर करती है और न खरीद व फरोख़्त। (अल–नूर–37)

और इरशाद है–

भावार्थ–

ऐ ईमान वालो! जो पवित्र और सही माल तुम खाते हो और जो चीज़ें हम तुम्हारे लिए ज़मीन से निकालते हैं उनमें से खुदा के रास्ते में खर्च करो।

(सूरः बकरः–267)

माँगना अच्छी बात नहींः–

हज़रत ज़ुबैर बिन अल अव्वाम रज़ि0 से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फरमाया कि कोई अपनी रस्सी ले कर पहाड़ पर जाए और लकड़ी का एक बोझ अपनी पीठ पर लाद लाए, उसको बेचे, अल्लाह इसकी वजह से उसकी ज़रूरत भर का सामान दे दे तो यह उसके लिए उससे बेहतर है कि वह लोगों से मांगता फिरे, लोग उसे दें या न दें, यह उनकी खुशी पर निर्भर है।

(बुखारी)

हज़रत अबू हुरैरः रज़ि0 बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फरमाया कि जो लकड़ी का बोझ अपनी पीठ पर लाद लाए तो यह उसके लिए उससे बेहतर है कि लोगों से माँगे और वह दें या न दें।

(बुखारी व मुस्लिम)

बड़े–बड़े पैगम्बर और सन्देष्टा अपने हाथ की कमाई से खाते थेः–

हज़रत मिकदाम बिन मअ़दी करिब रज़ि0 बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फरमाया किसी ने इससे बेहतर खाना कभी नहीं खाया कि आदमी अपने हाथ की मेहनत का खाए, बेशक अल्लाह के नबी दाऊद अलै0 अपने हाथ से काम करके खाते थे।

(बुखारी)

हज़रत ज़करिया अलै0 की मेहनत व मज़दूरीः–

हज़रत अबू हुरैरा रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल0 ने फरमाया हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बढ़ई का काम करते थे। (मुस्लिम)

सद्क़ा और खैरात में मालदारों का हक नहीं हैः–

हज़रत उबैदुल्लाह बिन अदी रज़ि0 फरमाते हैं कि दो आदमियों ने उन से बयान किया कि वो दोनों अल्लाह के रसूल सल्ल0 की खिदमत में हाजिर हुए और दोनों ने सदक़ा व खैरात माँगा, आप सल्ल0 ने

नज़र डाल कर ऊपर से नीचे तक देखा तो आप सल्ल0 ने उनको ताकतवर और तन्दुरुस्त (स्वस्थ महसूस किया, फिर आप सल्ल0 ने उनसे फरमाया– तुम चाहो तो मैं तुमको दे दूँ, (मगर यह समझ लो कि) तुम जैसे सही और ताकतवर लोगों का इसमें हिस्सा नहीं है।

(अबू दाऊद व नसई)

अनाथ के माल को कारोबार करके बढ़ाना चाहिएः–

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अल आस रज़ि0 बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फरमाया– जो किसी यतीम (अनाथ) का वली (संरक्षक) बने उसको चाहिए कि उस यतीम के माल को व्यवसाय करके बढ़ाता रहे, ऐसा न करे कि उसको बढ़ाए नहीं और सदक़ा देते–देते उसका माल खत्म हो जाए। (तिर्मिज़ी)

हज के ज़माने में कारोबार करना सही हैः–

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि0 से रिवायत है कि उकाज़, मिजन्ना और जुलमजाज़ (इन जगहों पर लोग मेले के तौर पर बाज़ार लगाया करते थे) अज्ञानता काल के बाज़ार थे, तो सहाबा किराम ने हज के ज़माने में व्यवसाय को गुनाह समझा, उस समय यह आयत उतरी ''लै स अ़लैकुल जुनाहुन अन तब्तगू फज़्लम्मिर्रब्बिकुम'' तुम पर कोई पाप नहीं कि तुम (हज के दिनों में व्यवसाय द्वारा) रोज़ी तलाश करो अपने रब से। (बुखारी)

तिजारत की बरकत (वृद्धि):–

हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ि0 बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने मेरे और सअद बिन रबीअ़ के बीच मुआखात (बन्धुत्व) करवाई तो सअ़द ने कहा कि मैं अन्सार में सबसे ज़्यादा मालदार हूँ, मैं अपना आधा माल तुमको देता हूँ, और देख लो मेरी दोनों बीवियों में से जो तुमको पसन्द हो उससे मैं तुम्हारे लिए अपना सम्बन्ध तोड़ लेता हूँ (तलाक़ दे देता हूँ) जब इद्दत गुज़र जाए तो तुम उससे शादी कर लो, हज़रत अब्दुर्रहमान ने फरमाया– मुझको इसकी ज़रूरत नहीं, (बस मुझको यह बता दो कि) यहाँ कोई बाज़ार है जहाँ खरीद व फरोख़्त होती हो? सअ़द बिन रबीअ़ ने कहा– ''कैनकाअ'' का बाज़ार है, दूसरे दिन हज़रत अब्दुर्रहमान गए, पनीर और घी लाए, फिर उसी तरह बराबर सुबह जाते रहे, थोड़े ही दिन गुज़रे थे कि एक दिन आए और उनके कपड़ों पर पीले रंग का निशान था, अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने पूछाः क्या तुमने शादी कर ली? उन्होंने कहा जी हाँ। आप सल्ल0 ने पूछाः किससे? उन्होंने जवाब दिया अंसार की एक औरत से, फिर आप सल्ल0 ने पूछाः क्या दिया (महर)? तो उन्होंने कहा खुजूर की गुठली के बराबर सोना दिया है (अर्थात तीन दिरहम)। तो अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फरमाया– वलीमा करो, चाहे एक बकरी ही से क्यों न हो।

मुहाजिरीन (देशत्यागियों) का व्यवसाय और अंसार का खेती–बाड़ी करनाः–

हज़रत अबू हुरैरः रज़ि0 बयान करते हैं कि तुम लोग कहते हो कि अबू हुरैरः अल्लाह के रसूल सल्ल0 की हदीसें बहुत ज़्यादा बयान करते हैं तो उसकी वजह यह है कि मुहाजिरीन तिजारती कारोबार को ले कर बाज़ारों में व्यस्त रहते थे और मैं हर चीज़ से खाली हो कर अल्लाह के रसूल सल्ल0 की सेवा में हाज़िर रहता था, वह गैर हाज़िर रहते, मैं हाज़िर रहता, वो भूल जाते, मैं याद कर लेता। मेरे अंसार भाईयों को अपनी खेती–बाड़ी से छुट्टी न मिलती और मैं सुफ्फा के फकीरों (मुहताजों) में से एक फकीर था, जब वो भूल जाते तो मैं याद रखता।

(बुखारी)

(मुहाजिरीन– अल्लाह के रसूल सल्ल0 के आदेश पर मक्का छोड़ कर मदीना जाने वाले)।

❖❖❖

सम्पादकीय

आज़ाद हिन्दुस्तान का एक बड़ा सियासी खेल

मुहम्मद गुफ़रान नदवी

स्वतंत्र भारत का इतिहास जब भी लिखा जायेगा या जब कभी इस विषय पर संगोष्ठी या चर्चा होगी तो निम्नलिखित तारीख़ें ज़रूर याद की जाएंगी–

(1) 15 अगस्त 1947, स्वतंत्रता दिवस

(2) 30 जनवरी 1948 राष्ट्रपिता मोहन दास करमचन्द गाँधी की हत्या

(3) 26 जनवरी 1950 गणतंत्र दिवस

(4) 6 दिसम्बर 1992 बाबरी मस्जिद की शहादत

15 अगस्त, 26 जनवरी, 30 जनवरी, हमारे देश की महत्वपूर्ण तारीखें हैं, इस समय हमारे सामने 6 दिसम्बर, 1992 की तारीख़ है जिसने हमारे स्वतंत्र भारत के इतिहास का रुख़ मोड़ दिया और लाखों इंसानों को प्रभावित किया, उस तारीख़ में जो घटना घटी उसे देख कर महसूस होता था कि आज हमारे देश में ''लॉ एण्ड आर्डर'' समाप्त हो चुका है और जंगल राज की स्थापना हो गई है, इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा दुनिया के कोने कोने में इस भयावह और रक्त युक्त घटना की ख़बरें फैल गईं, मुस्लिम देशों में प्रदर्शन शुरु हो गये जिसके परिणाम स्वरूप हमारे भारतीय राजदूत दिल्ली एयरपोर्ट पर भाग भाग कर आने लगे, उसी 6 दिसम्बर की रात को आल इण्डिया रेडियो पर देश के प्रसिद्ध इतिहासकार और उस समय के उपराष्ट्रपति डॉ0 शंकर दयाल शर्मा ने अपनी स्पीच में कहा कि आज की तारीख़ में अयोध्या की सरज़मीन पर जो घटना घटी वह सिर्फ गुण्डा गरदी थी, यह देश के बड़े ज़िम्मेदार का मनोभाव था, जो वास्तविकता पर आधारित था, बाबरी मस्जिद की शहादत ने फ़ितनों का जो दरवाज़ा खोला वह बन्द होने का नाम नहीं ले रहा है। अब यहाँ तक नौबत पहुँच चुकी है कि मस्जिदों को गिराने के प्रोग्राम बनने लगे, दो साल पहले रातों रात एक बहुत ही क़दीम मस्जिद राम सनेही घाट बाराबंकी में गिरा दी गई उसका प्रमाण मिटाने के लिए मस्जिद का मलबा क़रीब की नदी में डाल दिया गया, इसी साल हैदराबाद आँधरा प्रदेश में एक मस्जिद गिराई गई। इसी प्रकार अज़ानों और नमाज़ों पर रोक लगने लगी, यह सब कुछ 6 दिसम्बर 1992 के एतिहासिक संप्रदायिक घटना के फलस्वरूप हो रहा है, इसी प्रकार माबलिंचिंग की हवा चली जिसमें सैकड़ों इन्सान मौत के घाट उतार दिये गये, जिस पर शासन की ओर से कोई प्रभावकारी एक्शन नहीं लिया गया, 6 दिसम्बर को जो हवा चली थी अब तक चल रही है, हमने अपने भारतीय संविधान का पालन नहीं किया बल्कि ब्रिटिश साम्राज की राजनीत का पालन किया ''डिवाइड एण्ड रूल'' फूट डालो और हुकूमत करो– एक ज्ञानी और देश प्रेमी डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी ने वर्तमान सूरते हाल से प्रभावित हो कर गहरी नज़र से जायज़ा लिया और कविता के रूप में

शेष पृष्ठ..12...पर

दीनी व दुनियावी ज़िन्दगी का एक व्यापक निज़ाम

हज़रत मौ0 सय्यद मुहम्मद राबे हसनी नदवी

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तालीमात का अगर मुताला किया जाये तो नज़र आयेगा की इसमें वो तमाम ज़रूरी चीज़ें हैं जिनमें दीन व दुनिया की व्यापकता का पूरा सुबूत मिलता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शिक्षाओं के अनुसार मज़हब ज़िन्दगी की मजबूरियों और ज़रूरी तक़ाज़ों की सिर्फ रिआयत ही नहीं करता बल्कि उनको अपने अंदर समेट लेता है, वो ज़िन्दगी से सिर्फ़ ये मुतालबा करता है कि वो अपने ग़ैर ज़रूरी तक़ाज़ों और रुजहानात को मज़हब की हिदायात का पाबन्द बना दे, वो दौलत पैदा करने से मना नहीं करता, सिर्फ़ उसको बढ़ाने की हवस पर रोक लगाता है, वो नफ़्स के ज़ायज़ तकाजों को पूरा करने की इजाज़त देता है, लेकिन उसके हुदूद बताता है, घरेलू ज़िन्दगी और आपस के मुआमलात में ज़ाबिते अख़लाक़ निर्धारित करता है आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने पूरी इन्सानियत बल्कि पूरी दुनिया पर ऐहसान किया, उसको ज़ालिमाना और महदूद तरीक़–ए–ज़िन्दगी से निजात दिलाई जिस में वह पड़ गई थी कि एक तरफ अहले दुनिया, दुनिया की लज़्ज़तों और नेमतों से अंधाधुंध फायदा उठाने और लुत्फ़अन्दोज़ होने में मस्त थे, और दूसरी तरफ अहले दीन थे, जो दुनिया के मामूली बल्कि ज़रूरी मुनाफ़े से भी फायदा उठाना सही नहीं समझते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इन्सान को मज़हब और दुनियावी ज़िन्दगी का एक मुशतरक़ और व्यापक निज़ाम अता किया जिसमें मज़हब और ज़िन्दगी के दरमियान कोई अंतर्विरोध न था, बल्कि वो दोनों निहायत खूबी के साथ एक इकाई समान बन गये।

(प्रस्तुतिः आफ़ताब आलम नदवी ख़ैराबादी)

❖❖❖

दीन की बुनियादी तालीम बालिग व नाबालिग सबके लिए ज़रूरीः-

खिलाफते राशिदा में जब तालीम व तिर्बियत के साधन हासिल हुए तो हर मुसलमान की दीनी शिक्षा–दीक्षा का इन्तेजाम किया गया और आदेश पारित किया गया कि इस्लामी शासन में कोई भी आवश्यक दीनी तालीम से अपरिचित न रहे। बच्चों के लिए तो यह तालीम ज़रूरी थी ही, बालिगों के लिए भी अनिवार्य थी। जो दीन की ज़रूरी बातें न जानता हो, उसको सज़ा मिलती थी। नमाज़ अदा करने भर का कुर्आन याद करना हर एक के लिए अनिवार्य था। जिसको याद न हो उसको वक़्त दिया जाता फिर उसका इम्तिहान लिया जाता। बुन्यादी इस्लामी तालीम के बिना कोई मुसलमान नहीं रह सकता। इस्लाम के बुन्यादी अक़ाइद सीखना और अरकान व फराइज़ अदा करने की सलाहियत पैदा करना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है।

(इदारा)

इस्लामी अक़ीदे (विश्वास)

मौलाना बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी

फरिश्तों पर ईमानः—

अल्लाह पर ईमान के बाद कुरआन मजीद में कई जगह फरिश्तों पर ईमान का जिक्र आता है, इरशाद होता हैः—

''सब के सब अल्लाह पर ईमान लाए और उसके फरिश्तों और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर।

(अल बकरह–285)

फरिश्ते अल्लाह की ऐसी मखलूक (सृष्टि) हैं जो न खाते हैं न पीते हैं, और उनको न कोई इच्छा होती है, और न उनको इन चीजों की ज़रूरत है, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, उनका काम सिर्फ अल्लाह का हुक्म पूरा करना है, उनकी तादाद की जानकारी सिर्फ अल्लाह को है।

उनमें वो फरिश्ते भी हैं जिनको ''हफजह'' कहा गया है, जिनका काम ही इंसानों की हिफाजत है, दुनिया में उनकी बड़ी तादाद हैः—

''और वो तुम पर हिफाजत के फरिश्ते भेजता है।'' (अल अनआम– 61)

उनमें ''किरामन कातिबीन'' भी हैं, जिनका काम बंदों के अच्छे, बुरे कामों को रिकार्ड करना है।

''जबकि तुम पर निगहबान निर्धारित हैं, इज़्ज़तदार लिखने वाले, वो सब कुछ जानते हैं जो तुम करते हो।

(अल इनफितारः 10–12)

''जो बात भी उसके मुंह से निकलती है तो उसके पास ही एक तैयार निगराँ मौजूद रहता है।'' (काफ–18)

उनमें मुनकर नकीर भी हैं जो कब्र में आकर सवाल करेंगे, अबू दाऊद की रिवायत में आता हैः—

अनुवादः— उस शख़्स के पास दो फरिश्ते आते हैं जो उसको बैठाते हैं, और उससे मालूम करते हैं कि तेरा रब कौन है?

(सुनन अबू दाऊद 4755)

हाँ बैहकी की रिवायत में साफ तौर पर इन्हीं दोनों फरिश्तों को मुनकर नकीर के नाम ही से जिक्र किया गया हैः—

अनुवादः ''उस शख़्स के पास मुनकर नकीर आते हैं।'' (शोअबुल ईमान लिल बैहकी —395)

उनमें वो फरिश्ते भी हैं जो जन्नत, दोज़ख पर तैनात हैं, उनमें जो जन्नत के फरिश्तों के सरदार हैं, उनका नाम हदीसों में ''रिजवान'' बताया गया है।

अनुवादः—''ऐ रिजवान! जन्नत के दरवाजों को खोल दो।'' (शोअबुल ईमान लिल बैहकी— 3695)

और जहन्नम के दारोगा का नाम ''मालिक'' है—

अनुवादः—*और वो आवाज देंगे कि ऐ मालिक! (जहन्नम का दारोगा) तुम्हारा रब हमारा काम ही तमाम कर देगा।'' (जुखरफ –77)*

उनमें वो बड़े मर्तबे वाले फरिश्ते भी हैं जिनको ''हमलतुल अर्श'' कहा गया है, ये अर्शे इलाही को थामे हुए हैं, सब ही अल्लाह की तारीफ और पाकी बयान करने में लगे रहते हैंः—

अनुवादः— ***''और आप देखेंगे कि फरिश्ते अर्श को हर तरफ से घेरे होंगे अपने रब की तस्बीह के साथ हम्द में मशगूल होंगे।''***

(अल–जुमरः 75)

अनुवादः—*जो (फरिश्ते) अर्श को उठाए हुए हैं और जो उस के आस पास हैं वो अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह में मशगूल हैं और उस पर ईमान रखते हैं और ईमान वालों के लिए इस्तिगफार*

करते रहते हैं।
(अल–गाफिर : 7)

अनुवादः– ***"और फरिश्ते अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह करते रहते हैं और जमीन वालों के लिए इस्तिगफार करते रहते हैं, सुन लो ! अल्लाह ही है जो बहुत बख्शने वाला बहुत ही रहम करने वाला है।" (अल–शूरा–5)***

यहां ये बात साफ कर दी गई कि मगफिरत करने वाली जात अल्लाह ही की है, फरिश्ते सिर्फ दुआ करते हैं, बख़्शिश उनके अधिकार में नहीं है।

तमाम फरिश्तों में चार फरिश्ते बहुत ही बड़ा मर्तबा रखते हैं, उन में भी दो का नाम कुरआन मजीद में आया है, एक ''हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम'' ये सारे फरिश्तों के सरदार हैं, उन का काम अल्लाह के रसूलों के पास अल्लाह की वह्य लाना और पैगाम पहुँचाना है, दूसरे जिस फरिश्ते का नाम बा कायदा मौजूद है वो ''हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम'' हैं जिनके ज़िम्मे रोज़ी की तक़सीम और बारिश है, इन दो के अलावा दो फरिश्ते और हैं जिनका नाम बार बार हदीसों में आता है, एक ''हजरत इजराईल अलैहिस्सलाम'' जिन का काम रूह कब्ज करना है और दूसरा ''हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम'' जो सूर मुंह में लिए हुए क़यामत के इंतजार में हैं, ये सब फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं, ये कोई काम अपनी तरफ से नहीं करते हैं, न कर सकते हैं, अल्लाह तआला ने इनके अंदर नाफरमानी की सलाहियत ही नहीं रखी। ◆◇◆

पृष्ठ..09...का शेष...

अपना विचार प्रकट किया, आशा है आप भी सहमत होंगे–

भीड़ की हिंसा जारी है
शासन पे वह भारी है
करदें वह मस्जिद मिस्मार
जिसको चाहें डालें मार
सज़ा नहीं वह पाते हैं
भीड़ में वह छुप जाते हैं
इससे मिलता है यह संदेश
जिसकी लाठी उसकी भैंस

ईश्वर ने हमें एक विशाल देश दिया है जो एक ऐसे चमन के समान है जिसमें भांति भांति के फूल खिले हुए हैं इसी में उसकी शोभा है, इसी रंगा रंगी में उसकी सुन्दरता है, हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैनी, आदि, नाना प्रकार के धर्म हैं और नाना प्रकार की जातियाँ हैं, देश आज़ाद होने के बाद हमारे देश के निर्वाचित विद्वानों ने जिन को देश और देश वासियों से प्रेम था उन्होंने बड़े तन मन और चिन्तन के बाद भारतीय संविधान की रचना की जिसमें प्रत्येक धर्म वालों और प्रत्येक जाति वालों की पूर्ण रूप से रिआयत की गई है, हमारा भारतीय संविधान दुनिया के अच्छे संविधानों में शुमार होता है, देश की एकता और अखण्डता उसी सूरत में संभव है, जब संविधान का पूर्ण रूप से पालन हो, आज देश में आवाज़ें उठ रही हैं देश बचाओ और संविधान बचाओ, जो बहुत चिन्ताजनक बात है, यह आवाज़ें क्यों उठ रही हैं? क्या हमारी अवाम असन्तुष्ट है? इस पर हमारे उत्तराधिकारियों को ग़ौर करना चाहिए, हमारे संविधान की स्पिरिट स्वतंत्रता, समानता, बन्धुता और न्याय है, यह चार बिन्दु भारतीय संविधान की आधारशिला हैं, यदि इन बिन्दुओं को नज़रअन्दाज़ करेंगे तो देश कमज़ोर हो जाएगा, हमें ऐसे अनावश्यक कामों से बचना है जो देश के विकास और उन्नति में बाधा डालें।

हिन्दू मुस्लिम, सिख, ईसाई
सब का यही तराना है
मत बाँटों तुम, हम सबको
यह सदियों प्रेम पुराना है
दूर रहो उन ग़द्दारों से
जो नफ़रत को फैलाते हैं
देश भक्ति का नारा दे कर
देश में आग लगाते हैं

❖❖❖

पिछले अंक से आगे

भारत के अतीत में मुस्लिम शासकों की धार्मिक निष्पक्षता

सैय्यद सबाहुद्दीन अब्दुर्रहमान

जब तिलक लाहौर पहुँचा तो उसने बहुत से उन मुसलमानों को क़ैदी बना लिया जो अहमद नयालतगीन के मित्र थे और उनके दायें हाथ कटवा दिए। शेष लोग जो अहमद के साथ थे इस दण्ड और अधिकारों से भयभीत हो कर दया की याचना करने लगे और अहमद का साथ छोड़ दिया। इसके बाद सरकार के राजकोष और शासकीय मामलों की उपयुक्त व्यवस्था की गयी। तिलक ने पूरे आत्मविश्वास और अधिकारों के साथ अहमद का पीछा किया। उसके साथ बहुत से हिन्दू थे जो अधिकतर जाट थे। इस पीछा करने में कुछ लड़ाईयाँ और झड़पें भी हुईं। अहमद हर तरफ़ भागता फिरा। एक भीषण युद्ध भी हुआ जिसमें अहमद पराजित हुआ और फिर वह फ़रार हुआ। तुर्कमानों ने उसका साथ छोड़ दिया, तिलक से शरण माँगी जो दी गयी। अहमद तीन सौ सवारों और साथियों के साथ बच निकला। तिलक ने उसका पीछा करने में कोताही नहीं की और जाट विद्रोहियों को पत्र लिखे कि वह अहमद का साथ छोड़ दें और यदि वह अहमद को गिरफ़्तार करके या उसको क़त्ल करके उसका सिर लाएँ तो उनको पुरस्कार में 5 लाख दिरहम दिए जायेंगे। अहमद का जीवन कठिन हो गया। उसके सारे आदमियों ने उसका साथ छोड़ दिया और जाट भी उसका पीछा करने लगे और जब अहमद एक नदी पार करने वाला था तो 2–3 हज़ार जाट उसके पास पहुँच गये। उसके साथ 200 सवार थे। वह स्वयं तो नदी में कूद पड़ा। लेकिन जाट उसके सामान को लूटने के लिए हर तरफ़ से टूट पड़े और जब वह उसके पास पहुँचे तो उसने अपने बेटे को अपने हाथ से मार डालना चाहा। लेकिन जाटों ने ऐसा करने नहीं दिया और उसके लड़के को ले भागे जो एक हाथी पर सवार था। इसके बाद वह अहमद पर तीरों, भालों और तलवारों से टूट पड़े, अहमद ने बहादुरी से मुकाबला किया लेकिन अन्त में मारा गया और उसका सिर काट कर अलग कर दिया गया। जाटों ने उसके सामान लूट कर उसके साथियों को या तो मार डाला या उनको क़ैदी बना लिया। उनके सरदारों ने तिलक के पास इन घटनाओं की सूचना दी। तिलक कहीं आस पास में ही था, तिलक को बहुत खुशी हुई, उसने सन्देशवाहक भेज कर अहमद का सिर और उसके लड़के को मंगवाया। जाटों ने पाँच लाख दिरहम की माँग की। तिलक ने उत्तर दिया कि जब वह अहमद की बड़ी मात्रा में दौलत लूट चुके हैं तो इस माँग को छोड़ दें। दो बार सन्देशवाहक़ आये–गये, अन्त में इसी पर समझौता हुआ कि जाट एक लाख दिरहम लेकर सन्तुष्ट हो जाएं। जब यह रकम भेजी गयी तो अहमद का सिर और उसका बेटा तिलक के सामने प्रस्तुत किया गया। तिलक का जब उद्देश्य पूरा हो गया तो वह लाहौर वापस हो कर उसने क्षेत्र की व्यवस्था की ओर ध्यान

दिया। फिर दरबार रवाना हुआ। अमीर ने तिलक को मुबारकबाद के पत्र लिखवाए, तिलक और उसके साथियों के उपकारों का आभार प्रकट करके उनकी प्रशंसा की।

इस विवरण से स्पष्ट है कि ग़ज़नवियों ने हिन्दुओं को हेय दृष्टि से नहीं देखा, बल्कि उनके साथ पूरे सम्मान और हमदर्दी का व्यवहार करते रहे। यह परम्परा महमूद ग़ज़नवी ही ने अपने शासनकाल में स्थापित की थी जिसे उसके उत्तराधिकारियों ने जारी रखी। महमूद ग़ज़नवी ने सोमनाथ के मन्दिर को जिन कारणों से गिराया, उन कारणों पर हम बहस करना नहीं चाहते। लेकिन उसकी सभी विशेषताओं और अच्छाईयों की अनदेखी करके उसको मात्र इसलिए बहुत बुरा समझा जाए कि उसने सोमनाथ को ढाया तो यह स्वयं बहुत बड़े धार्मिक भेदभाव का प्रमाण है परन्तु हिन्दुओं में कुछ ऐसे इतिहासकार भी हैं जो उसको बुरा समझने के लिए तैयार नहीं। जैसे सी0वी0 वैद्य ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ मेडिवल हिन्दू इण्डिया, खण्ड 3 में उसके बारे में जो अपना विचार व्यक्त किया है उसके कुछ अनुच्छेद इस प्रकार हैं:–

''महमूद एक वैभवशाली बादशाह था। उसने मात्र अपनी बाहों की ताक़त से एक छोटे से पहाड़ी क्षेत्र को एक व्यापक और सम्पन्न सल्तनत में बदल दिया। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं थी..... मेरा विचार है कि महमूद उन व्यक्तियों में से है जो प्रकृति की ओर से लम्बे समय के बाद पैदा हुआ करते हैं और जिनमें असाधारण किस्म की विशेषताएँ और अद्भुत योग्यताएं होती हैं और जो दुनिया के इतिहास और क़ौमों का भाग्य बदल देते हैं। एक इन्सान की हैसियत से यह एक कठोर अनुशासन और उच्च चरित्र का वाहक़ था। उसके आक्रमणों में इसके उदाहरण तो मिलते हैं कि शहर लूटे गए, मन्दिर ढाए गये, खून–खराबा हुआ, क़ैदी बनाए गये। लेकिन महिलाओं के अपमान या उनकी हत्या का कोई उदाहरण नहीं मिलता। वह न्यायप्रिय था, इसलिए अत्याचार से इतनी घृणा करता था कि यदि उसका बेटा व्यभिचार में लिप्त हो जाता तो उसको क़त्ल कर देने के लिए तैयार हो जाता। वह एक अच्छा शासक भी था और राज्य की अच्छी व्यवस्था करने वाला भी। प्रजा को सम्पन्न बनाने की कोशिश में निरन्तर लगा रहा। उसने डाकुओं का दमन करके व्यापार को बढ़ावा दिया, अपने दूर–दराज़ के क्षेत्रों के राजमार्गों को हर तरह के ख़तरों से सुरक्षित कर दिया। लाहौर और खुरासान के बीच व्यापारिक क़ाफ़िले स्वतन्त्रतापूर्वक आते जाते रहे। उसने प्रान्तों में अच्छे शासक नियुक्त किए। उन पर निगरानी रखता कि वह लोगों पर अत्याचार न करने पाएँ..... वह हर वर्ष एक लाख दीनार न्याय और जनता की भलाई और दान और नेकी में ख़र्च किया करता था और यह सभी बातें इसका प्रमाण हैं कि वह नगरों और प्रान्तों में समाज के कल्याण के लिए उन सभी कर्तव्यों को पूरा करता रहा जो एक शासक को करना चाहिए।''

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर ईश्वरी प्रसाद अपनी किताब मेडिवल इण्डिया में लिखते हैं:–

''महमूद ने इतिहास में अपनी जो जगह बनायी है उसका निर्धारण करना कोई कठिन काम नहीं है। अपने समय के मुसलमानों की दृष्टि

में तो वह एक विजेता और इस्लाम का ध्वजावाहक़ था जिसने कुफ़्र को मिटा देना चाहा। हिन्दुओं की दृष्टि में आज भी एक पत्थर दिल और अत्याचारी लुटेरा है जिसने उनकी पवित्र इबादतगाहों को मलियामेट करके उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाया। लेकिन एक भेदभाव से मुक्त शोधकर्ता और इतिहासकार उसके ज़माने की दशा को ध्यान में रख कर कुछ और ही फ़ैसला देने पर मजबूर होगा। महमूद निस्सन्देह अपने साथियों का एक प्रभावशाली नायक, एक न्यायप्रिय और अमानतदार शासक, एक योग्य और जोशीला सैनिक, न्याय पर न्योछावर होने वाला। विद्या और कला का संरक्षक था। वह निस्संदेह संसार के सबसे अच्छे और महानतम शासकों में गिने जाने योग्य है।'' अधिक विवरण के लिए देखिए मेरी किताब ''हिन्दुस्तान के अहदे उस्ता की एक झलक (पृ0 30–59)।

अल बैरूनी के प्यार के गीतः–

और यदि मान लीजिए कि महमूद ग़ज़नवी की तलवार से भय व्याप्त हुआ तो इससे कौन इन्कार कर सकता है। उसी के दरबार के एक विद्वान अर्थात अबू रैहान बैरूनी के क़लम से प्यार के गीत आज भी हिन्दुस्तान के वातावरण में गूँज रहे हैं और उसके प्यार और मुहब्बत का क़लम चूमा जा रहा है। आपसी अज्ञानता से दूरी पैदा होती है। परायापन आँखों को अंधा कानों को बहरा कर देता है जिससे व्यक्तिगत, नस्लीय, सामूहिक़ रूप से सिर्फ अपने आप को देखने की आदत पैदा होती है। इसके बाद दिल दुखाना इन्सानों से बेपरवाह होना अपमानित करना और खून बहाना शुरु हो जाता है। इसी अज्ञानता, परायापन और सम्बन्ध न रखने की वजह को दूर करने के लिए अल बैरूनी ने बहुत परिश्रम से और जान लगाकर ग़ैर मुस्लिमों, विशेष रूप से हिन्दुओं की विद्या और कला से अवगत होने की कोशिश की जिसके कारण उनकी गिनती संसार के उन विद्वानों में की जाती है जिन पर स्वयं विद्याओं और कलाओं को गर्व है। उसकी मृत्यु को 824 वर्ष व्यतीत हो गये लेकिन इस लम्बे समय के बावजूद उसका महत्व और लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। विभिन्न देशों की विभिन्न भाषाओं में उसकी बौद्धिक उपलब्धियों को समेटा जा रहा है। उसकी बौद्धिक उदारता, धार्मिक उदारता और शोध सम्बन्धी गहराई की प्रशंसा अब तक की जा रही है। उसकी विद्वतापूर्ण किताबों का अध्ययन किया जाए तो स्पष्ट होगा कि वह हाड–माँस की बजाए ज्ञान और कला का रूप था। उसकी जिज्ञासाओं की रंगारंगी को देखिए तो उसकी मानसिकता और दिमाग की बनावट पर आश्चर्य होता है। वह खगोल, नक्षत्र, रसायन विज्ञान, इतिहास, साहित्य, आयुर्विज्ञान और भाषा में विशेष योग्यता प्राप्त करने के साथ ही संसार के सभी धर्मों के विश्वासों, स्मितियों, रस्मों यहाँ तक कि अन्धविश्वासों और पौराणिक कहानियों पर भी गहरी नज़र रखता था। वह अरबी और फ़ारसी के अतिरिक्त इब्रानी और सुरयानी भाषाएं भी जानता था। संस्कृति बहुत मेहनत से सीखी और इस भाषा की महत्वपूर्ण किताबों को पढ़ कर वह परांगत हो गया था।

अल बैरूनी की विद्या और कलाः–

वह विद्या का सागर हो कर अर्न्तज्ञान को दूसरों में

स्थानान्तरित करने की चिन्ता में लगा रहा। उसने 75 वर्ष की उम्र पायी। उसकी पूरी उम्र विद्या और कला की सेवा में व्यतीत हुई। आरम्भ में तो उसने अभाव और ग़रीबी में जीवन व्यतीत किया लेकिन जब विद्या की ख्याति के आधार पर राजदरबारों से सम्बद्ध हुआ तो उसके दिन अच्छे व्यतीत होने लगे। पहले वह शमसुल मुआली क़ाबूस बिन वशमगीर के दरबार से जुड़ा। फिर ख़वारिज़्म के बादशाह ने उसको अपने दरबार में बुला कर बहुत आदर–सम्मान से रखा। इसका अनुमान इस घटना से लगाया जा सकेगा कि बादशाह एक बार अल बैरूनी के घर से घोड़े पर सवार हो कर गुजर रहा था तो उससे मिलने की इच्छा पैदा हुई। जब अल बैरूनी अपने कमरे से उसके पास आया तो उसने घोड़े से उतरना चाहा। अल बैरूनी ने कसम देकर बादशाह को घोड़े से उतरने से मना किया लेकिन उसने एक अरबी शेअर पढ़ा जिसका अर्थ यह था कि ''विद्या सबसे अधिक सम्मानित सम्पत्ति है कि सभी लोग उसके पास आते हैं और वह स्वयं नहीं आती।'' (मुअजमुल बुल्दान, इन्साइक्लोपीडिया ऑफ सिरीज, खण्ड 6, पृ0 209–210)

ख़वारिज्म के सम्राटों के विनाश के बाद अल बैरूनी सुल्तान महमूद ग़ज़नवी के विद्या प्रेम से लाभान्वित होने लगा। फिर उसके बेटे सुल्तान मसऊद के संरक्षण में आ गया। जिसके नाम पर उसने अनेक किताबें लिखीं। उनमें अधिक प्रसिद्ध किताब ''क़ानून–ए–मसऊदी'' हुई। सुल्तान मसऊद के बेटे शहाबुद्दीन अबुल फ़तह मौदूद के दरबार से भी जुड़ा रहा। उसके नाम पर ''किताबुल दस्तूर लिखी'' राज दरबार से जुड़े रहने के बावजूद वह दरबारीपन से विमुख हो कर अपने विद्या के कामों में लगा रहा। शहरज़ोरी में लिखा है कि वह हमेशा लेखन और संकलन में व्यस्त रहता था। उसका हाथ क़लम को, उसकी आँख अध्ययन को और उसका दिल चिन्तन को केवल खाने के समय में छोड़ता था। उसकी लिखी हुई किताबें एक ऊँट के बोझ से अधिक हैं। स्वयं अल बैरूनी ने अपनी किताब आसारुल बाकियः में अपनी किताबों की संख्या 114 बतायी है लेकिन आसारुल बाकियः उसकी मृत्यु से 13 साल पहले लिखी गयी थी। इसके बाद भी उसने लेखन कार्य को जारी रखा। वह मृत्यु शैया पर भी विद्या की समस्याएं हल करता रहा। मोअजमुल बुल्दान में याकूत ने लिखा है कि फ़क़ीह (धर्मशास्त्री) अबुल हसन अली बिन ईसा अल वालजी का कथन है कि मैं अबू रैहान के पास ऐसी हालत में गया कि वह दम तोड़ रहा था। लेकिन इस दशा में भी उसने कहा कि तुमने जद्दात–ए–फासिदा के हिसाब के बारे में मुझसे एक दिन क्या कहा था? मुझको उस पर दया आयी और मैंने कहा कि इस हालत में? अबू रैहान ने कहा क्या इस समस्या का ज्ञान इससे बेहतर नहीं है कि मैं दुनिया को इस दशा में छोड़ूँ कि उससे अनभिज्ञ रहूँ। यद्यपि मैंने इस मसले को दूसरी बार बयान किया और उसने उसको याद कर लिया। उसके बाद मैं उसके पास से निकला तो रास्ते ही में था कि रोने पीटने की आवाज़ सुनी।

.....जारी.....

❖❖❖

पिछले अंक से आगे

अच्छे व्यवहार की शिक्षा

मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी रह0

मुहताजों के साथ अच्छा व्यवहारः–

अनाथों के साथ मुहताजों का भी उल्लेख किया गया है। मुहताज से अभिप्राय समाज के उन लोगों से है जो शारीरिक असमर्थता और आर्थिक परेशानियों के कारण अपनी बुनियादी आवश्यकता पूरी करने में असमर्थ हैं। शारीरिक असमर्थता भी आर्थिक दौड़–धूप में बाधक बनती है और धन का अभाव भी। इस्लाम चाहता है कि इस बाधा को दूर किया जाय और जो लोग आर्थिक परेशानियों में घिरे हुए हों उनकी हर संभव सहायता की जाए, ताकि उनकी आवश्यकताएं पूरी हों और उन्हें आर्थिक स्थिरता प्राप्त हो। कुरआन और हदीस में दरिद्रों और मुहताजों के साथ अच्छे व्यवहार और उनके नैतिक तथा क़ानूनी अधिकारों का बार–बार उल्लेख किया गया है। एक स्थान पर आदेश हैः ***''तो नातेदार को उसका हक़ दो, और मुहताज और ज़रूरतमंद मुसाफ़िर को उसका हक़, यह उत्तम है उनके लिए जो अल्लाह की ख़ुशी चाहते हैं और वही कामयाब होने वाले हैं।'' (30:38)***

मुहताज प्रायः भीख मांगने वाले को कहा जाता है। भीख मांगना लाचारी और दरिद्रता का लक्षण नहीं है। जिन लोगों की यह बुरी आदत बन जाती है वे बिना किसी लाचारी के भी भीख मांगते हैं। उन्हें मुहजात नहीं, मुहताजों जैसे रूप वाला कहना चाहिए। इसके विपरीत कुछ लोग अधिक ज़रूरतमंद होते हैं, लेकिन उनका स्वाभिमान और आत्मसम्मान उन्हें इस बात की अनुमति नहीं देता कि वे किसी के सामने हाथ फैलाएं। कुरआन की शिक्षा यह है कि इस प्रकार के वास्तविक ज़रूरतमंदों को देखा जाए। विशेष रूप से उन लोगों को जो दीन (धर्म) की सेवा में लग जाने के कारण आर्थिक दौड़–धूप नहीं कर सकते। उनके विषय में कुरआन में हैः

''उनके स्वाभिमान के कारण बेख़बर उन्हें धनवान समझता है। तुम उनके चेहरों से उनको पहचान सकते हो। वे लोगों से चिमट–चिमट कर नहीं मांगते।'' (2:273)

इस आयत की व्याख्या हज़रत अबू हुरैरा रज़ि0 की एक रिवायत से होती है। वे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फ़रमायाः

''मुहताज वह नहीं जो लोगों के सामने हाथ फैलाये मांगता फिरे, जिसे तुम दो एक निवाले (या खाने की कोई चीज़) या एक दो छुहारे दे देते हो, बल्कि मुहताज तो वह है जो बुनियादी आवश्यकताओं की सामग्री न होने के बावजूद इस प्रकार रहता है कि उसकी हालत का पता नहीं चलता कि उसे सद्क़ा या दान दिया जाए, और न ही वह खड़ा हो कर किसी से मांगता है।''

(बुखारी–मुस्लिम)

इस प्रकार समाज के उन शरीफ़ और सम्मानित व्यक्तियों की सहायता की ओर ध्यान दिलाया गया है जिनकी आर्थिक परेशानियों की जानकारी बड़ी मुश्किल से ही होती है और जो अधिक सहायता के अधिकारी होते हैं।

पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहारः–

कुर्आन की सूरा निसा की आयत 36 में पड़ोसियों की सेवा और उनके साथ अच्छा व्यवहार करने की हिदायत इस प्रकार दी गयी हैः

''नातेदार पड़ोसियों, अजनबी पड़ोसियों और पास बैठने वालों के साथ अच्छा व्यवहार करो।'' (4:36)

इन्सान जिन लोगों के बीच रहता है और जो उसके पड़ोसी हैं और जिनसे वह अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में अलग–थलग नहीं रह सकता उनके अधिकार, स्पष्ट हैं कि उन लोगों से अधिक हैं जिनसे उसका इस प्रकार का संबंध नहीं होता। यहां पड़ोसियों के तीन प्रकार बताये गये हैं। एक वह जो पड़ोसी होने के साथ नातेदार भी हैं, दूसरा वह जो केवल पड़ोसी है और तीसरा वह जिसका संयोग से या कभी कभी साथ हो जाता है जैसे यात्रा में, कार्यालय में, स्कूल और कॉलेज में, कारखाना और फैक्ट्री में, व्यापार और कारोबार में। जिन लोगों के साथ इस प्रकार का साथ हो वे भी एक प्रकार के 'पड़ोसी' हैं। पड़ोसियों के साथ अच्छे व्यवहार का महत्व संसार के समस्त धर्मों ने बताया है। परन्तु इस्लाम ने पड़ोसियों के साथ सद्व्यवहार ही की शिक्षा नहीं दी, बल्कि पड़ोसी होने का इतना व्यापक विचार दिया कि संसार में इसका कोई उदाहरण नहीं मिलता। उसने कहा कि इन्सान के साथ किसी भी प्रकार का थोड़ी–बहुत देर के लिए भी साथ हो जाए तो उसका हक़ क़ायम हो जाता है। यदि यह सम्पर्क स्थायी हो तो उसका हक़ भी बहुत अधिक बढ़ जाता है।

हज़रत आइशा रज़ि0 और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0 दोनों से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फ़रमायाः–

''जिबरील अलै0 मुझे पड़ोसी के साथ अच्छे व्यवहार की इतनी ताकीद करते थे कि मैं सोचने लगा कि वे उत्तराधिकार (विरासत) में उसे भागीदार बना देंगे।''

(बुखारी–मुस्लिम)

इस्लाम केवल इतना ही नहीं चाहता कि पड़ोसी को किसी प्रकार का कष्ट न पहुँचे, बल्कि वह यह भी चाहता है कि उसकी आर्थिक, नैतिक, हर प्रकार की सहायता की जाए और उसके साथ अत्यंत शालीनता का व्यवहार अपनाया जाए ताकि समाज का हर व्यक्ति इस विश्वास और इत्मीनान के साथ जीवन बिताये कि वह शुभ चिंतक लोगों के बीच रह रहा है, जिनसे उसे कभी कोई कष्ट नहीं पहुँचेगा, वे किसी भी आड़े समय में उसकी सहायता के लिए दौड़ पड़ेंगे और उसके दुख दर्द में भाइयों की भांति काम आएंगे। इस मामले में इस्लाम की शिक्षाओं की महत्ता का अनुमान निम्नलिखित दो हदीसों से हो सकता हैः–

अबू सईद खुजाई रज़ि0 कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने तीन बार फरमायाः–

''ख़ुदा की क़सम! वह व्यक्ति मोमिन नहीं। खुदा की क़सम! वह व्यक्ति मोमिन नहीं। खुदा की क़सम! वह व्यक्ति मोमिन नहीं।'' पूछा गया कौन? आप सल्ल0 ने फरमायाः ''वह व्यक्ति जिसके कष्टदायक कामों से उसका पड़ोसी सुरक्षित न हो।'' (बुख़ारी, मुस्लिम)

इस हदीस में पड़ोसी को कष्ट पहुंचाने और दुख देने को ईमान के विरुद्ध ठहराया गया

है। एक अन्य हदीस में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि0 कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्ल0 को फरमाते सुनाः

''वह व्यक्ति मोमिन नहीं है जो स्वयं तो पेट भर कर खाये और उसका पड़ोसी उसके निकट ही भूखा पड़ा रहे।''

(मिश्कात, बैहक़ी)

इससे पता चलता है कि ईमान की पहचान ही यह है कि आदमी का पड़ोसी उसकी वजह से शांति का अनुभव करे और वह उसके दुख–दर्द और कठिनाइयों में काम आये।

यात्रियों के साथ अच्छा व्यवहारः–

इसके बाद इब्नुस्सबील यानी यात्रियों (मुसाफ़िरों) का ज़िक्र है। अपरिचितों और यात्रियों की सेवा को सदा ही पुण्य और सवाब का काम समझा गया है, उनके लिए सराएं बनायी गयीं और उनके खाने–पीने और आराम व राहत का प्रबन्ध किया गया। अब सेवा की भावना समाप्त हो गयी है और इन चीज़ों का स्थान बड़े–बड़े भव्य होटलों ने ले लिया है। इन होटलों से न तो हर व्यक्ति के लिए फ़ायदा उठाना आसान है और न ही यात्रियों के सारे मसले हल होते हैं। जो व्यक्ति वतन से दूर और यात्रा की स्थिति में हो उसे अनेक कठिनाईयां पेश आ सकती हैं। रूपये–पैसे का न होना, स्वास्थ्य का बिगड़ जाना, निवास एवं भोजन की उचित सुविधा का न होना, कारोबार तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए भाग दौड़ में कष्टों का सामना करना आदि एक सामान्य सी बात है। यदि यात्रा विदेश की हो तो व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के तहत कुछ अन्य प्रकार की परेशानियों में घिर सकता है।

इस पहलू से देखा जाए तो आज के युग में यात्रा की समस्याएं पहले से अधिक विस्तृत और जटिल हो गयी हैं। इस्लाम पूरे समाज की यह ज़िम्मेदारी ठहराता है कि वह ऐसे तमाम अवसरों पर यात्री के साथ अच्छे से अच्छा व्यवहार करे, ताकि वह अपने को अपरिचित महसूस न करे और जिस उद्देश्य के लिए उसने घर बार और वतन छोड़ा था वह यात्रा के कष्टों के कारण पूरा होने से न रह जाए।

गुलामों और आश्रितों के साथ अच्छा व्यवहारः–

जो लोग सेवा और अच्छे व्यवहार के अधिकारी हैं उनमें गुलामों और अधीन लोगों को विशेष रूप से शामिल किया गया है। अल्लाह का फ़रमान (आदेश) हैः

''और उन गुलामों के साथ अच्छा व्यवहार हो।''

(4:36)

कुरआन अवतरित होने के शताब्दियों पहले से गुलामी की प्रथा थी। गुलामों के साथ पशुओं से भी बुरा व्यवहार किया जाता था और उनके कोई अधिकार नहीं थे। कुरआन गुलामी को समाप्त करना चाहता है, इस विषय में उसने जो प्रयास किये हैं यहां उन पर वार्ता करने का अवसर नहीं है, केवल इतना कहना है कि उसने इस बारे में प्रथम प्रयास यह किया कि गुलामों, आश्रितों और अधीनों के अधिकार निश्चित किये हैं और उनके साथ अच्छे व्यवहार की ताकीद की है। इस विषय से संबंधित बहुत सी हदीसों में से यहां केवल एक हदीस प्रस्तुत की जा रही है।

हज़रत अबू ज़र रज़ि0 की रिवायत है कि अल्लाह के

रसूल सल्ल0 ने फ़रमायाः

''ये गुलाम तुम्हारे भाई हैं, जो खुद खाओ वही इनको खिलाओ और जो खुद पहनो वही इनको पहनाओ। इनकी शक्ति व सामर्थ्य से अधिक इनसे काम न लो। यदि इन पर शक्ति से अधिक बोझ डालो तो उसके उठाने में इनकी सहायता करो।'' (बुखारी–मुस्लिम)

गुलामों और आश्रितों के प्रति अच्छे व्यवहार का आदेश देने के बाद अंत में आदेश दियाः

''निःसंदेह अल्लाह किसी ऐसे व्यक्ति को पसन्द नहीं करता जो घमण्डी है और डींगें मारता है।'' (4:36)

इस आयत में 'मुख़ताल' और 'फ़ख़ूर' दो शब्द आये हैं। यद्यपि ये दोनों शब्द समानार्थी हैं, परन्तु फिर भी इनमें थोड़ा सा अन्तर है। 'मुख़ताल' वह व्यक्ति है जिसके कामों से घमण्ड का प्रदर्शन हो। 'फ़ख़ूर' उस व्यक्ति को कहा जाता है जो शेख़ी बघारता और अपनी बड़ाई बयान करता फिरे और डींग मारे। तात्पर्य यह कि अल्लाह तआला उस व्यक्ति को बहुत नापसन्द करता है जिसकी कथनी और करनी से घमण्ड और अभिमान प्रकट होता हो। घमण्ड इन्सान को अल्लाह की इबादत और बन्दों की सेवा, दोनों ही से रोकता है। जबकि इन दोनों विशेषताओं के कारण ही इन्सान की इन्सानियत बाक़ी रहती है, वरना वह पशु से भी नीचा हो सकता है।

नैतिक शिक्षा के साथ क़ानूनी सुरक्षा भीः–

एक बात नोट करने की यह है कि यहां माँ–बाप, नातेदारों, दरिद्रों, मुहताजों और समाज के अन्य कमज़ोर व्यक्तियों तथा वर्गों के साथ अच्छे से अच्छा और उत्तम से उत्तम व्यवहार करने की शिक्षा दी गयी है। यह शिक्षा मक्का से मदीना तक कुरआन उतरने की पूरी अवधि में निरंतर जारी रही। इस प्रकार समाज में एक दूसरे के साथ सहानुभूति और प्रेम की भावना निरंतर पैदा की गयी और कमज़ोरों, उपेक्षितों और हक़दारों के अधिकार पहचानने और उनके साथ अच्छा व्यवहार करने की लगातार प्रेरणा दी जाती रही, फिर एक विशेष चरण में इस्लाम ने इन सबके अधिकार निर्धारित किये और क़ानूनी सुरक्षा प्रदान की, ताकि कोई व्यक्ति किसी कमज़ोर पर अत्याचार न कर सके और कोई हक़दार अपने अधिकार पाने से वंचित न रहे।

मजदूरों के अधिकारः–

हज़रत मुहम्मद सल्ल0 ने फ़रमाया इन्सान की वह रोज़ी सबसे ज़्यादा पवित्र है जो उसने अपने हाथ से मेहनत करके कमायी है। हज़रत मुहम्मद सल्ल0 ने फरमायाः उससे बेहतर कोई खाना नहीं जो आदमी अपने हाथ से कमा कर खाता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथों से रोज़ी कमाते थे।

हज़रत मुहम्मद सल्ल0 ने फ़रमायाः इस संसार में जितने भी संदेष्टा आये हैं सबने बकरियां चरायी हैं। सहाब–ए–किराम ने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल0 आपने भी, फ़रमाया हाँ मैं भी कुछ कीरात (मुद्रा का नाम) के बदले मक्का के वासियों की बकरियां चराया करता था। (बुख़ारी)

इस्लाम की इन तालीमात का अर्थ यह है कि जो भी व्यक्ति मेहनत करके रोज़ी कमाता है और मेहनत करके अपना घर बार चलाता है वह समाज का एक सम्माननीय व्यक्ति है, कोई भी मज़दूरी करने वाला इस्लाम की नज़र में सम्माननीय है, अर्थात उसे इज़्ज़त की निगाह से देखता है।

(कान्ति अक्तूबर 2012 से ग्रहीत)

❖❖❖

आपके प्रश्नों के उत्तर

—मुफ़्ती मुहम्मद ज़फर आलम नदवी

प्रश्न: एक मरहम ऐसा है जो शेर की चर्बी से तैयार होता है क्या उस मरहम का प्रयोग जायज़ है, अगर यह मरहम जिस्म में लगा हुआ हो तो क्या इस हालत में नमाज़ अदा हो जायेगी?

उत्तर: शेर की चर्बी शेर के मरने के बाद ही हासिल हो सकेगी और मरे हुए जानवर की चर्बी से बना हुआ मरहम गंदा और नापाक है, जिसका प्रयोग आम हालत में सही नहीं, हाँ अगर कोई माहिर मुसलमान दीनदार डॉ0 बीमारी से सिहतयाब होने के लिए यही दवा लिखे और कोई दूसरी दवा न हो तो ऐसी सूरत में उसका प्रयोग मजबूरन सही होगा, और इस हालत में जिस्म में लगे मरहम से ज़रूरत की बिना पर नमाज़ अदा हो जायेगी।

(अलदुर्रुल मुखतार 1/330)

प्रश्न: बाज मुल्कों में दुकानों में लाल शरबत मिलता है उसके अन्दर जो लाली होती है वह एक प्रकार की मक्खी से निकाली जाती है और शरबत में मिलाई जाती है प्रश्न यह है कि इस शरबत का पीना कैसा है?

उत्तर: मक्खी में बहने वाला खून नहीं होता इसलिए मक्खी पाक है, लेकिन उसका खाना हलाल नहीं, उसका खारजी प्रयोग सही है लेकिन अंतरिक प्रयोग सही नही, इसलिए उसका कोई भाग शरबत में पड़ता हो तो उसका प्रयोग जायज़ न होगा।

(अल दुर्रुल मुखतार 5/265)

प्रश्न: आज कल यह मशहूर है कि आम तौर पर बिस्कुटों और डालडा, घी में सुअर की चर्बी मिलाई जाती है, सवाल यह है कि इन चीजों का इस्तेमाल शरअन कैसा है?

उत्तर: अगर किसी को शरई सुबूत के साथ मालूम हो कि फुलाँ चीज़ में सुअर की चर्बी है तो इस का इस्तेमाल जायज़ नहीं होगा, लेकिन चूंकि इन चीज़ों का इस्तेमाल आमतौर पर बिना झिझक होता है, इसलिए जब तक सुअर की चर्बी मिलाये जाने का इल्म न हो इन चीज़ों को हराम नहीं ठहराया जा सकता, और इस्तेमाल से भी रोका नहीं जा सकता है।

प्रश्न: एक मुसलमान कीमया बनाना चाहता है जिसमें सुअर का दूध इस्तेमाल होता है, क्या प्रकृति बदलने के लिए सुअर का दूध का इस्तेमाल करना जायज़ है?

उत्तर: सुअर ''नजिसुल ऐन'' अर्थात जो मुकम्मल तौर पर नापाक व गन्दा है, उसके दूध से कीमया बनाना जायज़ नहीं है, फुकहा ने वजाहत की है कि सुअर के तमाम अंश नजिस व नापाक हुआ करते हैं, इसलिए दूध भी नापाक है और उसका इस्तेमाल किसी तरह जायज़ नहीं है।

(रद्दुल मुहतार 6/308)

प्रश्न: कुत्ता पालना कैसा है, जहाँ कुत्ता होता है वहां नेकी के फरिश्ते नहीं आते हैं क्या ज़रूरत के दृष्टिकोण से कुत्ता पालने की इजाज़त है?

उत्तर: बिला ज़रूरत शौकिया कुत्ता नहीं पालना चाहिए, हदीस शरीफ में आता है कि जहाँ कुत्ता होता है वहां नेकी के फरिश्ते नहीं आते हैं, हाँ अगर घर खेती या जानवरों की हिफ़ाज़त या शिकार के लिए ज़रूरत के दृष्टिकोण से कुत्ता पालने में कोई हरज नहीं है।

(फतावा हिन्दिया 4/242)

प्रश्न: क्या तरके की तक़्सीम इन्सान के मरने के बाद ही होनी चाहिए या ज़िन्दगी में भी कर सकते हैं?

उत्तर: किसी व्यक्ति के इंतेक़ाल के बाद उसके छोड़े हुए माल को तरका कहते हैं, जिसकी तक्सीम संवैधानिक रूप से मरने के बाद ही होती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी ज़िन्दगी में अपना माल औलाद और वारिसीन के दरमियान तक़्सीम करना चाहता है तो उसका अफ़ज़ल तरीक़ा है कि सारी औलादों के मध्य बराबर बराबर तक़्सीम करे यानी लड़के और लड़की में भेदभाव न करे, बराबर बराबर दे, व्यक्ति के इंतेकाल के बाद तो शरीयत ने जिसका जो हिस्सा निर्धारित किया है उसके माल व जायदाद में उसके हिसाब से तक्सीम होगी।

प्रश्न: मय्यत के सिर्फ एक बहन हो तो उसको कुल तरके में आधा देने के बाद बाकी आधा किसे दिया जायेगा?

उत्तर: मय्यत की औलादों में कोई न हो और माँ–बाप भाई भी न हों बल्कि सिर्फ बहन हो तो बहन को मय्यत के छोड़े हुए माल व जायदाद में आधा हिस्सा मिलेगा, और बाक़ी आधा मय्यत के अस्बा यानी खानदान के करीबी लोगों में तक्सीम किया जायेगा जैसे मय्यत के अगर दादा होंगे तो बचा हुआ आधा माल पूरा का पूरा उनको मिल जायेगा, वह न हों तो चचा को मिलेगा वह न होंगे तो चचा जाद भाई को मिलेगा।

प्रश्न: पायजामा या पैंट टखने से नीचे लटकता हो तो नमाज़ दुरुस्त होगी या नहीं?

उत्तर: टखने से नीचे लटकता कपड़ा पहनना आम हालत में भी मना है, हदीस पाक में आता है कि नबी करीम सल्ल0 ने फरमाया की तीन लोग वह हैं कि अल्लाह तआला क़यामत के दिन उनसे बात नहीं करेंगे और न उनकी तरफ निगाह–ए–रहमत फरमायेंगे और न ही उनको गुनाहों से पाक करेंगे और उनके लिए सख़्त अज़ाब होगा, उन तीनों में पहला व्यक्ति वह होगा जो अपने कपड़े टखनों से नीचे लटका रखे।

(सुनने अबू दाऊद 4088)

इस तरह की हदीसों को सामने रखते हुए फिक्ह के बड़े आलिमों ने लिखा है कि पायजामा या पैंट वगैरा टखनों से नीचे रखना मना है और हराम के करीब है और नमाज़ की हालत में (जो अहम इबादत है) में ऐसा करना बहुत ज़्यादा ना पसंदीदा और गुनाह है, लेकिन नमाज़ हो जायेगी।

प्रश्न: हाफ शर्ट में नमाज़ अदा करना कैसा है, इसी प्रकार अगर फुल शर्ट हो, लेकिन आस्तीन नमाज़ की हालत में कोहनियों से ऊपर उठा लेना कैसा है?

उत्तर: आस्तीन को कोहनियों तक उठा कर नमाज़ पढ़ना नापसंदीदा और अदब के खिलाफ है, फिक्ह के आलिमों ने सराहत के साथ लिखा है कि ऐसा करना मकरूह और नापसंदीदा है, और वह लोग जो हाफशर्ट पहनने के आदी हैं और हर जगह उनका वही लिबास है तो उनके लिए हाफ शर्ट इस्तेमाल करने की हालत में भी नमाज़ अदा करने की गुन्जाइश है। (फतावा हिन्दिया 1/106)

प्रश्न: बाज लोगों के लिए अपने स्कूल या आफिस में टाई लगाना ज़रूरी होता है और ड्यूटी के मध्य में नमाज़ का वक़्त आ जाता है तो क्या ऐसे लोग टाई पहने हुए नमाज़ पढ़ सकते हैं?

उत्तर: मौजूदा दौर में टाई का इस्तेमाल आमतौर पर होने लगा है और जाहिरी तौर पर किसी अक़ीदे और दीनी नज़रिये की बिना पर लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं इसलिए अगर नमाज़ की हालत में टाई लगी हो तो उसमें कोई हरज़ नहीं, नमाज अदा हो जायेगी।

❖❖❖

निरन्तर मेहनत, सफलता की कुंजी

मुहम्मद गुफ़रान नदवी

इस कथन की सत्यता के लिए अपने एक बुज़ुर्ग हाफ़िज़ डॉक्टर हारून रशीद सिद्दीक़ी मरहूम के जीवन चरित्र की कुछ झलकियाँ पेश कर रहा हूँ, डॉ0 साहब मरहूम का इन्तिक़ाल 6 दिसम्बर 2021 ई0 को 88 वर्ष की उम्र में हुआ। डॉ0 साहब मरहूम नदवतुल उलमा लखनऊ के हिन्दी मासिक पत्रिका ''सच्चा राही'' के जीवन के अन्तिम समय तक सम्पादक रहे। डॉ0 साहब का रहन सहन बहुत सादा था, जीवन में दिखावा और बनावट बिल्कुल नहीं थी, वास्तविकता और सच्चाई के प्रेमी थे, मरहूम की ''आत्म कथा'' उन्हीं के शब्दों में आप को सुना रहा हूँ। ''मैं अगस्त 1933 ई0 को पूरा रज़ा खाँ जिला बाराबंकी में पैदा हुआ, प्राईमरी तथा मिडिल तक की शिक्षा रुदौली में हुई, अल्लाह तआला ने ज़ेहन से नवाज़ा था, हर क्लास में मानीटर रहा और विद्यार्थियों में प्रमुख रहा, वालिद साहब को नौकरी से चिढ़ थी, खेत के कामों में लगा दिया।

1948 ई0 से 1955 ई0 तक खेती का मेहनत भरा काम किया, सेहत अच्छी थी, शोहरत यह हुई कि मैं दो आदमियों के बराबर काम करता हूँ। 1951 ई0 में वालिद साहब का इन्तिक़ाल हो गया तो मेरी मेहनतों में और इज़ाफ़ा हुआ, ग़ल्ले की तिजारत भी की, गाड़ी वानी भी ख़ूब की, ज़ैदपुर से फ़ैज़ाबाद तक बैलगाड़ी से ग़ल्ले की तिजारत करता, यह तिजारती काम खेती के काम से छुट्टी पा कर करता।

1955 ई0 में बारिश के सबब मेरी फ़सल रबी दो बार तबाह हुई तो नौकरी का रुख़ किया।''

डॉ0 हारून रशीद मरहूम का जीवन वृत्तान्त बल्कि आत्मकथा पढ़ने के बाद अन्दाज़ा होता है कि मरहूम शुरु से हक़ की तलाश में थे, डॉ0 साहब मरहूम का गाँव और इलाक़ा प्रचलित बिदआत और मुश्रिकाना कामों में ग्रस्त था दीनी तालीम और दीनी माहौल न होने की वजह से डॉ0 साहब भी गाँव वालों के साथ थे और उनके कामों में शरीक थे, लेकिन हज़रत मौलाना अबुल हसन अली हसनी नदवी रह0 से लगाव और नदवतुल उलमा के संबंध ने उनकी ज़िन्दगी को सही रुख़ पर मोड़ दिया, नदवा आने के बाद सबसे पहले मुहस्सिल (चन्दा वसूल करने वाले) की हैसियत से काम किया लेकिन बहुत जल्द शोब–ए–मकातिबे शहर से सम्बन्धित हो गये।

1963 ई0 में दारुल उलूम नदवतुल उलमा में मदरसा सानवीय क़ायम हुआ। जिसके सबसे पहले हेडमास्टर जनाब मुहम्मद हसन खाँ आर्शी नियुक्त हुए उन्होंने डॉ0 साहब को मदरसा सानवीया ट्रान्सफर करवा लिया, नदवा आने से एक साल पहले मौलाना मुहम्मद सानी हसनी नदवी रह0 की तजवीज़ पर अस्र से इशा तक मकतब–ए–इस्लाम और मासिक ''रिज़वान'' का काम करते थे, इन सारी ज़िम्मेदारियों के साथ डॉक्टर साहब को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करने का शौक़ हुआ, चुनांचे प्राइवेट तौर पर हाईस्कूल और इण्टर का

इम्तिहान दिया और अच्छे नम्बरों से कामयाबी हासिल की, घरेलू तालीम मिडिल तक थी, डॉक्टर साहब की मेहनत और लगन के संबंध में यह बात उल्लेखनीय है कि अपने शौक़ से उन्होंने कुरआन हिफ़्ज़ कर लिया था और बाद को कानपुर में हाफिज़ सिद्दीक़ को सुना दिया था, माशा अल्लाह उन्होंने कई मेहराबें सुनाई थीं, नौकरी की ज़िम्मेदारियों के साथ–साथ शिक्षा प्राप्त करने का सिलसिला जारी रहा, लखनऊ यूनिवर्सिटी से बी0ए0, एम0ए0 और पी0एच0डी0 की डिग्री हासिल की ,शुरु से डॉक्टर साहब ज़हीन और मेहनती थे, इसलिए विद्यार्थियों में बहुत श्रेष्ट और उत्तम थे, इसी तरह नौकरी के कर्तव्य को भली भांति निभाते थे, कैसा ही मौसम हो समय की पाबन्दी करते, और दूसरों से भी यही चाहते थे, यही वजह है कि नदवे के ज़िम्मेदार मरहूम को आदर और सम्मान की निगाह से देखते थे, डॉ0 साहब की सलाहियत और दियानतदारी के पेशे नज़र उनको ज़िम्मेदारों ने ऊँचे ओहदों पर नियुक्त किया, हमें उन्हें बहुत करीब से देखने और उनसे बहुत कुछ सीखने और फ़ाइदा उठाने का मौक़ा मिला, डॉ0 साहब मरहूम सदैव इसका ख़्याल रखते थे जो बात लिखी या कही जाए वह इल्मी हैसियत से मज़बूत और प्रमाण के साथ हो, इसी प्रकार दुनिया के मुक़ाबिले में दीन को प्रधानता देते थे।

एक ज़माने में लखनऊ के आस पास के इलाक़ों में क़ादयानियत का फितना ज़ोर शोर से उठा, डॉ0 साहब ने उस फ़ितने को ख़त्म करने के लिए सर धड़ की बाज़ी लगा दी, दीहात के उन इलाकों में जहाँ ज़रूरत थी मस्जिदें बनवाईं, छोटे बच्चों की तालीम के लिए मकातिब क़ायम करवाये, अलहमदु लिल्लाह वह मकातिब काम कर रहे हैं, उन मकातिब व मसाजिद से दीनी माहौल बनता जा रहा है।

डॉ0 साहब के इल्मी सफ़र के तअल्लुक़ से एक वाक़या का ज़िक्र ज़रूरी है, इससे अन्दाज़ा होता है कि इन्सान के अन्दर जब किसी चीज़ की सच्ची तलब होती है तो अल्लाह तआला उसके लिए राहें निकालता है, उस वाकया की तफ़सील डॉक्टर साहब की ज़बान से सुनियेः–

''1979 ई0 में मुझे मौलाना मुहम्मद मियाँ साहब एडीटर ''अल बअ़सुल इस्लामी'' की सिफ़ारिश से रियाज़ यूनिवर्सिटी में अरबी पढ़ने का वीज़ा वज़ीफ़े के साथ मिलगया, 1979 ई0 के आख़िर से 1985 ई0 तक मै वहां रहा, हमारा ''मअ़हद'' की तालीम के बाद बी0ए0 की सनद की बुन्याद पर और एक सऊदी दोस्त की सिफ़ारिश पर मेरा वहाँ दाखिला एम0ए0 में हो गया।

1985 ई0 में रियाज़ से वापस आया और 1986 ई0 में फिर मअ़हद दारुलउलूम नदवतुल उलमा से संबंधित हो गया और हेड मास्टर की हैसियत से काम करता रहा, यहाँ तक 1997 ई0 में रिटायर्ड हुआ, मगर ख़िदमत जारी रखने के लिए तौसी सेवा विस्तार मिलता रहा''।

नदवतुल उलमा के ज़िम्मेदारों ने 2001 ई0 में हिन्दी भाषा में मासिक पत्रिका ''सच्चा राही'' निकाला और उसका संपादक डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी साहब को बनाया गया, डॉ0 साहब ने भली भांति इस ज़िम्मेदारी को निभाया और पूरा किया। डॉ0 साहब मरहूम हिन्दी और उर्दू दोनों भाषाओं में कविता कहते थे, देश की जो अफसोसनाक और कष्ट जनक हालात चल रहे हैं उनके पेशेनज़र गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो कविता कही थी वह आपके सामने प्रस्तुत हैः–

शेष पृष्ठ ...36... पर.

मुहब्बत हमें उन जवानों से है

✍जमाल अहमद नदवी
(उप सम्पादक)

आज जब कि दुनिया की आबादी 8 अरब के आँकड़े को छू रही है और इन सब के पैदा करने वाले खालिक व मालिक ने हर व्यक्ति के अन्दर अलग अलग तमन्नायें और ख्वाहिशें रखी हैं और हर एक अपनी इच्छानुसार अपनी फील्ड चुनता है कोई डॉ0 बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई वैज्ञानिक, कोई प्रोफेसर, कोई राजनीतिज्ञ, कोई किसान, कोई अफसर, कोई खिलाड़ी, कोई आडिटर, कोई आलिम, कोई हाफिज आदि इनमें का हर व्यक्ति अपनी चुनी और पसंदीदा फील्ड में अपनी तमन्नाओं और इच्छाओं के पूरा होने को ही अपनी अस्ल कामयाबी समझता है।

आज जिस संसार में हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं उसमें ज़्यादातर लोग जो सिर्फ और सिर्फ जाहिर पर निगाह रखते हैं वह भी कामयाब उसी को समझते और मानते हैं जिनके पास अथाह धन दौलत हो, गाड़ी हो, बंगला हो, नौकरों चाकरों का भारी भरकम लाव लश्कर हो, जिनके आने पर लोग हटो बचो करते हों, जिनके सियासी रुसूख की तूती बोलती हो, जिनके बच्चे विदेशों में शिक्षा प्राप्त करते हों, जिनके पास ऐश व आराम के हर प्रकार के साधन मौजूद हों।

समाज में फैली इस ग़लत सोच और धारणा की बिना पर इन समस्त क्षेत्रों में कामयाबी के लिए प्रयासरत हमारा नौजवान सफलता के आखरी पावदान पर पहुंचने के लिए हर तरह का उपाय करता है और इन संसाधनों की प्राप्ति पर ही अपना पूरा ध्यान केन्द्रित कर देता है और हर प्रकार की सामाजिक नैतिकताओं और मान्यताओं को ताक पर रख कर हर प्रकार का जोखिम उठाने को तैयार रहता है।

लेकिन क्या एक अल्लाह व रसूल पर ईमान व यकीन रखने वाले मुसलमान के लिए भी सच्ची कामयाबी यही है? क्या इस भौतिक दुन्या के संसाधनों के लिए दिन रात प्रयासरत रहना ही काफी है? क्या हमारे पालनहार ने हम को इस संसार में इसीलिए भेजा है? क्या हम भी इस सोच ''चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की'' को अपना सकते हैं? क्या हम एक अभिभावक और सरपरस्त होने के नाते यह कह सकते हैं कि हमारे बच्चे अब बड़े हो गये हैं, वह अपना जीवन कैसे गुज़ारें उसके अधिकारी वे खुद हैं?

नहीं नहीं हम हरगिज़ ऐसा नहीं कह सकते, और अगर ऐसा कहते हैं तो जान लीजिए कि हम अपने कर्तव्यों से मुँह मोड़ रहे हैं। एक ज़िम्मेदार अभिभावक की ज़िम्मेदारी है कि वह अपने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में खूब आगे बढ़ाये, उनके मनोबल को खूब बढ़ाने की कोशिश करे उन्हें बताये कि तुम्हारी सोच बलन्द और दूरदर्शी होनी चाहिए, तुम्हें ईमानदार मेहनती, संघर्षशील निष्ठावान होना चाहिए, तुम्हें हालात से डरना नहीं चाहिए बल्कि उनसे मुकाबले की कोशिश करनी चाहिए, तुम्हारे अंदर आकाश की बलंदी को छूने की ललक होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर सुस्ती, काहिली, असहजता, अज्ञानता, दूसरों से बुग्ज़ व हसद न होना चाहिए, आप अपने छोटों और बड़ों का आदर सम्मान करें।

इनके साथ–साथ आप यह भी समझें कि हम मुसलमान हैं और एक मुसलमान पर दोहरी ज़िम्मेदारी है कि वह समझे कि अल्लाह व रसूल पर ईमान, उनसे महब्बत, उनका अज्ञापालन भी ज़रूरी और अनिवार्य है। अगर हम ऐसा करेंगे तो सांसारिक और पारलौकिक दोनों दुनिया में कामयाब होंगे, और समाज भी हमें अच्छी नज़रों से देखेगा, और हम दोनों जगह खुशहाल और सम्पन्न होंगे और हमारा देश भी तरक्की और उन्नति की राह पर जायेगा और हम देश के अच्छे नागरिक कहलायेंगे।

मुहब्बत हमें उन जवानों से है
सितारों पे जो डालते हैं कमंद

❖❖❖

मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य

नजमुस्साक़िब अब्बासी नदवी

अट्ठारहवीं शताब्दी में फ्रांस की क्रांति ने नए स्वरूप में विश्व को स्वतंत्रता, समानता और बन्धुता का संदेश दिया था। क्रांति के बाद फ़्रांस की राष्ट्रीय सभा ने 1789 ई के नवीन संविधान में "मानवीय अधिकारों की घोषणा" (Declaration of the Rights of men) को शामिल करके नागरिकों के कुछ अधिकारों को संवैधानिक रुप देने की शुरुआत की थी। उसके बाद अमेरिका ने 1791 ई में प्रथम दस संशोधनों द्वारा नागरिकों के अधिकार का संविधान बनाया। ये संशोधन सामूहिक रूप में अधिकार पत्र (bill of rights) कहलाया।

अमेरिका के इस क़दम का प्रभाव अन्य यूरोपीय देशों पर पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आये नए राष्ट्रों और पुराने देशों ने अपने संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया। उस दौर में जर्मनी और आयरलैंड का संविधान मौलिक अधिकारों के सम्बंध में उल्लेखनीय था। फिर दूसरे विश्व युद्ध के दौर में मौलिक अधिकारों पर चर्चा विस्तृत हुई और युद्ध के उपरांत भारत और जापान आदि देशों का जब संविधान बना तो उन सभी में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया, उससे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भी मानवीय अधिकारों की सार्वलौकिक घोषणा (universal declaration of human rights) के नाम से एक अंतरराष्ट्रीय अधिकार पत्र अस्तित्व में आया और इस प्रकार मौलिक अधिकारों के विचार ने विश्वव्यापी रूप धारण कर लिया।

संविधान में मौलिक अधिकार देश के एक नागरिक के लिये कितना महत्वपूर्ण है उसका जानना जरूरी है, दरअसल मौलिक अधिकार प्रजातंत्र के आधार स्तम्भ हैं और ये नागरिकों को शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास की सुरक्षा प्रदान करते हैं। उसके द्वारा ऐसी बुनियादी आजादी की व्यवस्था की जाती है कि जिसके बिना सामान्य रूप से कोई नागरिक जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। इसी प्रकार मौलिक अधिकार देश में राजनीतिक तानाशाही रोकने में सहयोग प्रदान करता है, यद्यपि वर्तमान में निरंकुश राजाओं के व्यक्तिगत शासन का भय नहीं रहा मगर "बहुमत तानाशाही" का भय निरन्तर बना हुआ है। मौलिक अधिकार देश के नागरिकों को सत्ता के अत्याचार से और विशेष रुप से अल्पसंख्यक समुदाय की रक्षा करते हैं तथा इनके द्वारा एक ओर वयवस्थापिका और कार्यपालिका को निश्चित सीमाओं में रहने को बाध्य करते हैं तो वहीं दूसरी ओर शासन को अपनी मनमर्जी और स्वेच्छा से सत्ता चलाने पर जनता को उनके विरुद्ध अभियान या आंदोलन चलाने का अवसर प्रदान करते हैं। इस प्रकार मौलिक अधिकार नागरिकों को न्याय और उचित व्यवहार की सुरक्षा देते हैं और सत्ता की बढ़ती दखलंदाजी और व्यक्ति की स्वतंत्रता के मध्य संतुलन स्थापित करते हैं।

व्यवहार में ब्रिटेन, स्वीटजरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका आदि देशों के

संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार का कोई उल्लेख नहीं है मगर भारत के संविधान में ब्रिटेन आदि का अनुसरण न करके मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान में किया गया है। दरअसल ब्रिटेन आदि देशों के संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख न होने के बावजूद उनकी जनता में अपने मौलिक अधिकारों के प्रति बड़े पैमाने पर जागरूकता पाई जाती है जबकि भारत में जागरूकता के अभाव के कारण संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख आवश्यक था। एक सच्चाई ये भी थी कि भारतीय जनमानस ने ब्रिटिश शासन का अत्याचार देखा था बल्कि संविधान सभा के अधिकतर सदस्यों ने अंग्रेजों के अत्याचार को देखा ही नहीं सहा भी था, जिस पर उन्होंने सोचा कि ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे अब सरकारें जनता पर जुल्म व अत्याचार न कर सकें। चूंकि भारत में पहली बार प्रजातंत्र को स्थापित किया जा रहा था, अतः नागरिक अधिकारों को सरकारों के भरोसे छोड़ देना होशियारी नहीं थी, तभी डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था किः–

"भारत में इन अधिकारों (मौलिक अधिकार) को विधान मण्डलों या सरकार की इच्छा पर छोड़ देना उचित नहीं था क्योंकि भारत में लोकतंत्र पूर्ण रूप से अबतक पनप नहीं पाया है, इसलिये इन अधिकारों को संविधान में रख दिया गया"।

विशेषज्ञों ने मौलिक अधिकार का अर्थ ये लिखा है कि "वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिये मौलिक और अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किये जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, मौलिक अधिकार कहलाते हैं"।

मौलिक अधिकारों पर अमेरिका और अन्य देशों के संविधान से प्रेरणा ली गई है लेकिन भारतीय संविधान के अधिकार पत्र की कुछ विशेषताएं हैं जो उसे अन्य संविधान के मौलिक अधिकारों से अलग करते हैं,जिसकी कुछ विशेषताएं बयान की जाती हैं।

भारतीय संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है जो कि विश्व के किसी भी संविधान में उल्लिखित अधिकार पत्र से विस्तृत है। संविधान में मौलिक अधिकारों के सम्बंध में कुल 23 अनुच्छेद हैं जो अनुच्छेद 12 से लेकर 30 और 32 से लेकर 35 तक हैं, इसमें कुछ अनुच्छेद लंबे हैं और निरन्तर संशोधन के कारण वह लंबे होते गए हैं, लंबे होने के कारण में ये भी है कि प्रत्येक अधिकारों के साथ–साथ प्रतिबंधों को भी जोड़ा गया है जिससे अधिकार पत्र विस्तृत हो गया है।

भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार वास्तविकता पर आधारित है, जैसे सभी नागरिकों के लिये समानता के अधिकार को स्वीकृति देते हुए पिछड़े–दलितों को संविधान ने विशेष सुविधाएं और व्यवस्थाएं दी हैं, इसी तरह शिक्षा और संस्कृति के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के शिक्षा और भाषा सम्बंधी हितों की रक्षा की गई है और इसके अतिरिक्त उनकी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा भी इस प्रकार की गई है कि जिससे समाज में धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा मिले।

विचारणीय है कि भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार असीमित नहीं हैं बल्कि संविधान द्वारा उन पर प्रतिबंध भी लगा दिए गए हैं।

शेष पृष्ठ..29.. पर...

–पिछले अंक से आगे.....

घरेलू मसायल

–मौलाना मुहम्मद बुरहानुद्दीन सम्भली रह0

–अनुवादः मौ0 मु0 जुबैर अहमद नदवी

अधिकार न देने की हिक्मतें:–

इस में शक नहीं कि तलाक देने का हक मर्द ही को है, औरत को नहीं, इसमें बहुत सी मस्लेहतें और हिक्मतें हैं, उन में से एक ये है कि मर्द औरत के मुकाबले में पैदाइशी तौर पर ज़्यादा वास्तविकतावादी, ठण्डे दिल व दिमाग से गौर करके कदम उठाने वाला है, स्वभाविक रूप से विवेक और सब्र का सबूत देने वाला, और फैसले की सलाहियत औरत से ज़्यादा रखने वाला होता है, इसके उलट जैसा कि हर शख़्स जानता है कि औरत स्वभाविक रूप से जल्द दुःखी हो जाने वाली, बहुत संवेदनशील, भावनात्मक और मामूली बातों से जल्द प्रभावित बल्कि भड़क जाने वाली, और जरा सी नागवार या मिजाज के खिलाफ़ बात पेश आ जाए तो एक दम गुस्से में आ कर आखिरी कदम उठाने वाला मिजाज रखती है, शायद इन्हीं कारणों से शादी बंधन तोड़ने का अधिकार नहीं दिया गया, वरना इसका पूरा खतरा था कि ये पवित्र रिश्ता रोज टूटा करता और बच्चों का खेल बन कर रह जाता, आज कल तो कोई समझदार इस हकीकत को जाहिर करने पर बे बुनियाद कयास करने और बात बनाने की भपती चुस्त करने की जुरअत मुश्किल से ही कर सकता है, क्योंकि इस वैचारिक सच्चाई का व्यावहारिक सुबूत और इसके लिए मजबूत दलील, पश्चिमी मुल्कों में होते रहने वाले तमाशों से आए दिन मिला करती है, सब जानते हैं कि वहाँ औरतों को तलाक हासिल करने में न सिर्फ आसानी दे दी गई है, बल्कि पूरे तौर पर अधिकार दे दिया गया है, जिसका नतीजा है कि चालीस, बल्कि कुछ लोगों का कहना है कि सत्तर प्रतिशत शादियों का नतीजा तलाक ही होता है।

कुछ समय पहले ब्रिटेन के सांख्यिकी विभाग ने अपने देश के दस वर्षीय सामाजिक रुझानों की रिपोर्ट (1961 – 71) प्रकाशित की है, जिसमें तलाक के बारे में ये तादाद बताई है– 1961 में 15000 थी, 1972 में 75000 तक पहुँच गई। 1977 में इस की रफ्तार ब्रिटेन के अंदर सात गुनी हो गई, जैसा की ब्रिटेन के हाई कोर्ट के एक जज मिस्टर जॉर्ज बेकर ने कहा ''अनुमान है कि इस साल एक लाख आठ हजार तलाक़ें होंगी यानी हर दो शादियों में एक का अंजाम तलाक होगा, जबकि वहाँ 1970 में 70 हजार तलाकें हुई थीं। (कौमी आवाज, दिनांक 9 अक्टूबर 1977)

इस के अलावा ''सिद्क –ए–जदीद'' लखनऊ में अमेरिका में सिर्फ एक साल (1975) के अंदर होने वाली दस लाख तलाकों की हिला देने वाली संख्या प्रकाशित हुई थी, जबकि एक साल के अंदर (अक्टूबर 1974) से ले कर सितम्बर 1975 तक) पूरे अमेरिका में 21 लाख 45 हजार शादियां पंजीकृत हुईं। (सिद्क–ए–जदीद, दिनांक 9 अप्रैल 1976)

इस का मतलब ये हुआ कि तकरीबन हर दो शादियों में से एक में तलाक़ हो गई।

देखो मुझे जो दीद–ए–इबरत निगाह हो

गौर फरमाइये! औरत को तलाक़ में पूरी नहीं, थोड़ी सी आजादी देने की यूरोप को कितनी भयानक सजा मिल रही है? कि दस साल में तलाक का औसत कहाँ से कहाँ पहुँच गया, क्या इसके बाद भी यूरोप का अंधा अनुसरण (तकलीद) का शौक ठंडा नहीं पड़ेगा!

और कभी कभी ऐसी ऐसी हास्यास्प्रद बातों पर पश्चिमी औरतों की तरफ से तलाक की मांग कर दी जाती है कि यकीन आना मुश्किल, मसलन एक बार समाचार पत्रों में ऐसे ही एक रोचक वाकिये का चर्चा हुआ कि एक औरत ने सिर्फ इस वजह से तलाक हासिल करने की अदालत से प्रार्थना की कि एक पति उसके ''प्यारे कुत्ते'' को पसंद नहीं करता।

आए दिन इस किस्म के (औरतों की ज़्यादती जाहिर करने वाले) वाकियात सामने आते रहने के बावजूद फैशन सा हो गया है कि अक्सर सारा इलजाम मर्द ही पर रख दिया जाता है, और औरत की ज़्यादती और बदतमीजी को आमतौर से नजरअंदाज कर दिया जाता है, हालांकि अगर तलाक की घटनाओं का ''सर्वे'' किया जाए तो ये हक़ीक़त सामने आयेगी कि ''(अगर ज़्यादती नहीं तो) कम से कम आधी घटनाओं में तलाकें, औरतों की ज़्यादती और बद अख़लाक़ी के कारण ही दी जाती है इस बात का (कि बीवियां भी पतियों को प्रताड़ित करती हैं) निम्नलिखित ख़बर से समर्थन मिलता है जो राष्ट्रीय सहारा लखनऊ के संस्करण 2 जुलाई 2000 में इस शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित हुई ''पतियों के विरुद्ध बीवियों के अत्याचार में बढ़ोत्तरी सरकार ध्यान देने पर मजबूर'' इस शीर्षक के अंतर्गत जो ख़बर प्रकाशित हुई उसका सार ये है कि पोर्ट ऑफ स्पेन के प्रधानमंत्री ने एक समारोह में भाषण देते हुए कहा कि ''हमें जल्द ही मर्दों के लिए सुरक्षा घर बनाने पड़ेंगे, पतियों के खिलाफ घरेलू हिंसा कई सालों से जारी थी, लेकिन सरकार, न्यायपालिका और सामाजिक संगठनों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, इसकी असल वजह ये थी कि पति इसकी शिकायत करते हुए शर्म महसूस करते थे, लेकिन पुलिस कमिश्नर का कहना है कि अब मर्दों की तरफ़ से शिकायतें होने लगी हैं, जिनमें पति अपनी बीवियों से सुरक्षा की मांग करते हैं।

.....ज़ारी.....

❖❖❖

पृष्ठ ..27... का शेष

अमेरिका और भारतीय संविधान में ये अंतर है कि अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकारों पर कोई प्रतिबंध नही हैं मगर वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस शक्ति द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित नियंत्रण लगा दिया है। इस प्रकार भारतीय और अमेरिकी संविधान में कोई विशेष अंतर नहीं क्योंकि जो निर्देश और कार्य भारतीय संविधान द्वारा प्रत्यक्ष रुप से किया गया है वही अमेरिकी संविधान में अप्रत्यक्ष रुप से किया गया है।

मौलिक अधिकारों के सम्बंध में भारतीय संविधान उन्हीं अधिकारों को स्वीकार करता है जिनका उल्लेख संविधान के तृतीय भाग में किया गया है और जिन अधिकारों का वर्णन नहीं उसको लागू नहीं कराया जा सकता है। इन सबके अतिरिक्त भारतीय संविधान मौलिक अधिकार हेतु अदालतों को आदेश देता है कि वह इसपर नजर रखें कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन न होने पाए। संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नागरिकों को ये सुविधा दी गई है कि वह अपने अधिकारों की रक्षा के लिये हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट कार्यपालिका के उन सभी कानूनों और कार्यों को अवैध तथा अवैधानिक करार देगा जो मौलिक अधिकारों को अनुचित रूप से प्रतिबंधित करते हैं।

❖❖❖

नफ़रत की खेती में मीडिया का-खाद!

प्रो0 डॉ0 हैदर अली खाँ

भारत सूफ़ी, संतो, महर्षियों मुनियों का देश रहा है जहाँ ''सभी सुखी हों, सभी निरोग रहें'' आदि की कामना की जाती रही है। साथ ही ''सारा संसार एक कुटुम्ब है'' का नारा भारत लगाता रहा है किन्तु हाल फिलहाल इस के उलट का वातावरण बनाया जा रहा है। वर्तमान में मीडिया–प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया खेती में खाद डालने का काम जोरों से कर रहा है। अतः भारत देश का वातावरण विषाक्त बनता जा रहा है।

भारत का सुप्रीम कोर्ट भी इस स्थिति से बहुत चिंतित है। उसने अपने एक सुप्रीम फैसले में हेट स्पीच पर तलख टिप्पणी करते हुए कहा है कि उचित लीगल फ्रेम वर्क की ज़रूरत है। उनके शब्दों में ''हमारा देश किस ओर जा रहा है? हेट स्पीच से संबंधित देश में कोई स्पष्ट कानून नहीं है। **केन्द्र क्यों मूक दर्शक बना हुआ है**। जब यह सब चल रहा है। एंकर का रोल बेहद महत्वपूर्ण है। हेट स्पीच या तो मेन स्ट्रीम टीवी के ज़रिए या फिर सोशल मीडिया के ज़रिए आ रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया में कम से कम ऐंकर का रोल अहम है। जैसे ही कोई हेट स्पीच देने की कोशिश करता है एंकर की ड्यूटी है कि उसे तुरंत रोक दे और एक उचित लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए।

जस्टिस के0एम0 जोसेफ और जस्टिस रिषिकेष राय की बेंच के सामने कुल 11 अर्जियों में हेट स्पीच मामले को रेग्युलेट करने के लिए निर्देश देने की गुहार लगाई है।

स्थिति कितनी भयानक होती जा रही है। इस पर देश का सात्विक तबका बहुत चिंतित है। पिछले दिनों शीर्ष अदालत ने न्यूज चैनलों पर होने वाली डिबेट्स में अपनाए जा रहे रवैये पर नाराजगी जताते हुए उन एंकरों को कड़ी फटकार लगाई है, जो डिबेट की आड़ में समाज में परस्पर विग्रह पैदा करते हैं। टीवी डिबेट्स में राजनीतिक दलों के प्रवकता और कुछ विषय विशेषज्ञों के बीच तय मसले पर चर्चा होनी चाहिए, जबकि होता यह है कि एका एक समूची डिबेट्स में इतना आक्रोश दिखाई देने लगता है कि मारपीट, लात– घूंसे चलने तक की नौबत आ जाती है। एंकर खास विचारधारा के पक्ष में पूरी तल्लीनता से हाई बोल्टेज ड्रामा क्रिऐट करने की कोशिश करता रहता है। इस प्रकार की चर्चाएं समाज में नफ़रत फैलाने का उद्देश्य पूरा करती हैं। यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। इसे बढ़ावा देने में राजनेता, अपने लाभ के लिए उनकी बात मानने वाले न्यूज चैनलों के प्रमोटर और विभिन्न धर्मों के कथित विशेषज्ञ शामिल हैं। हाल के समय में जिस तरह से टीवी डिबेट्स का स्तर गिरा है, उस पर शीर्ष अदालत ने नाराजगी जता दी है, इसलिए ज़रूरी बन पड़ा है कि सरकार इनके नियमन की दिशा में तत्काल कुछ करे। विश्व के अनेक देशों में ऐसे प्रयास सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं।

वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी ने अपने आलेख ''बंद हो नफ़रती बहसों का जहरीला कारोबार'' में कहा कि ''हाल के वर्षों में लाइव टीवी शो के दौरान थप्पण, लात और घूँसे भी चलते देखे गए हैं''।

स्वतंत्र पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक राजेश जोशी अपने आलेख ''हिन्दू–मुस्लिम मुर्गाझपट करवात है, टीवी एंकर'' में कहा है– ''मेरे एक सिलेर्बिटी एंकर मित्र अपने टीवी कार्यक्रम में हिन्दू–मुस्लिम की मुर्गाझपट के माहिर माने जाते हैं। कुछ साल पहले वो अपने एक कार्यक्रम में क्रोशिए की बुनी मुसलमानी टोपी पहने दाढ़ी वाले एक मौलाना को तगड़ी डाँट पिला रहे थे। पूरे कार्यक्रम के दौरान मौलाना ने मिमियाने के अलावा कुछ नहीं किया। कार्यक्रम के बाद मैंने अपने मित्र को फोन करके पूछा कि आप मौलाना को राष्ट्रीय टेलीविजन पर लताड़ सुनाते रहे और वो सुनता रहा, ऐसा क्यों? मेरा मित्र बोला कि उसके मुँह पर पैसा फेंकत हैं।

वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण ने अपने आलेख ''बदनाम होंगे तो क्या नाम न होगा?'' में कहा है कि ''आपको याद होगा कि जिस दिन से भजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता रहीं नुपुर शर्मा के बयान पर विवाद खड़ा हुआ है, उस दिन से देश में आग लग गई है। इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? यकीनन टीवी चैनल ही यह अराजकता फैलाने के गुनाहगार हैं, जो टीआरपी बढ़ाने के लालच में आये दिन इसी तरह के विवाद पैदा करते रहते हैं। जानबूझ कर के ऐसे विषयों को लेते हैं, जो विवादास्पद हों और ऐसे ही वकताओं को बुलाते हैं, जो उत्तेजक बयानबाजी करते हों। टीवी एंकर खुद सर्कस के जोकरों की तरह पर्दे पर उछल कूद करते हैं।''

मीडिया विश्लेषक अभिषेक मेहरोत्रा ने कहा है कि ''एंकर को लेनी होगी ज़िम्मेदारी'' एंकर राजा से ज़्यादा देशभक्त (More Loyal than the King) अपने को दिखलाने का प्रयास करता है।

असिस्टेंट प्रोफेसर, दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म डॉ0 सुनील विपुल का कहना है कि ''बिसरी बहस की स्वस्थ्य परंपरा को बनाये रखना होगा। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। हम थोड़ा पीछे जाएं तो आजादी मिलने के तुरंत बाद गठित संविधान सभा की बहसों को देखना चाहिए कि इस देश में स्वस्थ्य बहस की कैसी परिपाटी रही है। ऐसा नहीं है कि उस सभा के सभी सदस्य एक ही तरह की सोच या विचार रखते थे पर उन लोगों ने बहस में अपने अपने तर्क से अपनी बात मनवाई। इसी प्रकार स्वतंत्र भारत की सरकार के गठन के बाद संसद में होने वाली बहसों को भी देखा जाना चाहिए। एक समय ऐसा भी आया कि विपक्ष के नेता को सरकार ने विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा। यहां तक कि 1990 से 2000 के दशक तक बिल्कुल अलग विचारधारा से ताल्लुक रखने वाले युवा तुर्क कहे जाने वाले चन्द्रशेखर और अटल विहारी बाजपेयी के बीच होने वाली संसद की बहस को भी देखा जाना चाहिए। किस तरह से विपक्ष और पक्ष, दोनों अपनी गरिमा बनाए रखते थे।

टेलीविजन उद्योग से सम्बद्ध एक पत्रकार ने ''अपने बुलबुले से बाहर आकर कंटेंट का करना होगा चयन'' में कहा है कि :

''कामचोरी का दूसरा नाम है चिल्लाना! जिनके पास

जानकारी नहीं, जिन्होंने अध्ययन नहीं किया या जो नहीं करते, वे अच्छा कंटेंट नहीं बना सकते जबकि मदारी की तरह चिल्ला कर लोगों की भीड़ को इकट्ठा करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हालांकि इस अंधी दौड़ में बड़े–बड़े नाम भी लगे हुए हैं। पत्रकारिता अपना संतुलन खो रही है क्योंकि खबरों की सामग्री मूलतः संतुलित नहीं है। यह पत्रकार की ज़िम्मेदारी है कि वह जो भी परोस रहा है, वह संतुलित हो। भोजन भी संतुलित नहीं होता तो बीमारी पैदा करता है।

सुप्रीम कोर्ट की तथा मीडिया के एक अच्छे अंग की चिंताओं को दृष्टिगत रखते हुए सरकार को अपने राजधर्म का पालन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कि ''केन्द्र क्यों मूक दर्शक बना हुआ है?'' ऐसा लगता है कि केन्द्र स्वयं ही चाहता है क्योंकि नफरत की खेती से उसे लाभ है। देशवासियों को टुकड़ों में बाँटना, ताकि एक वर्ग को यह सोचने के लिए मजबूर होना पड़े कि संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों से वे उनके लिए दूर की कौड़ी होगी? क्या हम सब देशवासी यह सब देखते हुए और जानते हुए भी चुप रहेंगे? शायद नहीं। भारत इसलिए आजाद नहीं हुआ था कि उसके कुछ नागरिक डरे–सहमे तथा अपमान का जीवन जीते हुए उफ भी न करें? एक शायर का सटीक शेर हैः–

हम आह भी करते हैं
तो हो जाते हैं बदनाम,
वह क़त्ल भी करते हैं तो
चार्चा नहीं होता।

❖❖❖

(श्री मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
बलिया (उ0प्र0), सम्पर्क–09451110317)

अपने पाठकों से

- सच्चा राही आपको कैसा लगा आप अपनी राय से अवगत करें, हम आपके पत्रों की प्रतीक्षा में रहते हैं। हम आपके सुझाओं का स्वागत करते हैं।
- हम अपने सम्मानित लेखकों से अनुरोध करते हैं कि वह सामाजिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, भौगोलिक विषयों पर अपने मूल्यवान लेख लिख कर हमें भेजें, हम आपके शुक्र गुज़ार होंगे।
- आप अपने लेख सरल भाषा में लिखें तथा विषय स्पष्ट हों, जो पाठकों को आसानी से समझ में आ सकें।
- आप सच्चा राही के नये ग्राहक बना कर हमारा सहयोग करें।
- आप अपनी आवश्यक दीनी समस्याएं लिखें हम उनके समाधान लिख कर सच्चा राही में प्रकाशित करेंगे।
- **आप अपने लेख भेजने के लिए उप सम्पादक के नं0 9450784350 का प्रयोग करें।**

प्रमुख इतिहासकार उड़ीसा प्रान्त के भूतपूर्व गवर्नर
श्री बी०एन० पाण्डेय (1923–98)

इं0 जावेद इक़बाल

बात 1997 ई० की है जब मैं अपने मित्र जनाब मुजफ्फर उल्लाह खाँ के साथ एक हिन्दी मासिक के लिए इन्टरव्यू करने श्री बी०एन० पाण्डेय से मिलने उनके दिल्ली आवास पर गया था। बाद में मुजफ्फर उल्लाह खां राष्ट्रीय सहारा उर्दू दैनिक के सम्पादक बने और रिटायरमेंट तक गोरखपुर संस्करण के संपादक रहे ।

श्री बी०एन० पाण्डेय प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, मशहूर इतिहासकार और साम्प्रदायिक सौहार्द के पक्के समर्थक थे, वह उड़ीसा प्रांत के गवर्नर भी रह चुके थे।

इंटरव्यू के दौरान जब पांडे साहब से पूछा कि आप ने तो सभी धार्मिक ग्रंथों का गहरा अध्ययन किया है, आप की नजर में धर्म का सबसे सफल प्रचारक और आदर्श व्यक्ति कौन हो सकता है, जिस के पदचिन्हों पर चल कर मानवता का कल्याण हो सके और इंसान दुनिया व आख़िरत में सफल हो सके? तो श्री बी ० एन० पाण्डेय ने कहाः– मैंने हज़रत मुहम्मद साहब के जीवन में वह मार्ग पाया है और उनके द्वारा मिली किताब कुरआन में वह शिक्षा पाई है जो सफलता और मोक्ष की ओर ले जाती है। उन्होंने कहा कि हक़ीक़त तो यह है कि ख़ुदा ने हर देश और जाति में अपने ईशदूत भेजे हैं उन ईशदूतों ने वहां की भाषा में एक समान संदेश दिया है , नेकी करोगे तो उसका फल अच्छा मिलेगा और बुराई करोगे तो बुरा । हर ईशदूत एक ही धर्म की भूली बिसरी यादों को याद दिलाने के लिए आया , उसका मकसद कोई नया धर्म चलाना नहीं होता था। जो लोग एक नबी और दूसरे नबी की बातों में फर्क करते हैं उन्हें कुरआन में काफिरूना हक्का यानी सत्य का विरोधी कहा गया है। धर्म की रक्षा के लिए इसलाम ठोस ईमान वालों को महत्व देता है चाहे वह दुश्मन के मुकाबले में कम ही क्यों न हों। सगे संबंधी भी यदि धर्म के मार्ग में बाधक बनेंगे तो उनसे धर्म युद्ध को उचित ठहराया गया है। बदर के मैदान में जहां केवल तीन सौ तेरह ठोस ईमान वाले थे वहीं दूसरी ओर धर्म के मार्ग में बाधा बने एक हजार अस्त्र शस्त्र से लैस विधर्मी थे, उनमें सगे संबंधी भी थे । इतिहास साक्षी है कि विजय ठोस ईमान वालों की ही हुई। परंतु सबसे बड़ा जिहाद अपने अहंकार और अपने नफ़्स पर क़ाबू पाना है , अपने नफ्स को जीतना है। गीता का भी यही उपदेश है और कुरआन की भी यही तालीम है। कुरआन के मार्गदर्शन को पूर्ण मार्गदर्शन कहा जा सकता है ।

हज़रत मुहम्मद सल्ल० और इस्लाम के बारे में श्री पाण्डेय जी के विचारों से स्पष्ट है कि वह अपने अध्ययन और निष्पक्ष चिंतन के आधार पर यह तो मानते थे पूर्ण सत्य तो इस्लाम की तालीमात में ही निहित है और वर्तमान काल में सर्वश्रेष्ठ आदर्श हस्ती हजरत मुहम्मद सल्ल० की ही है, मगर समाज के बंधनों को तोड़ने का साहस अन्य मुश्रिकों की तरह उन में भी नहीं था। अलबत्ता साम्प्रदायिक भेद भाव उन में

तनिक भी नहीं था, निष्पक्षता उनके रोयें रोयें में बसी थी। अहमदाबाद में होने वाले 1996 के सांप्रदायिक दंगों का ज़िक्र करते हुए उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि प्रधानमंत्री श्रीमति इंदिरा गांधी ने मुझ से कहा कि अहमदाबाद के दंगों का हाल मुझे अनेक लोगों ने अपनी अपनी रिपोर्ट में बताया है मगर मुझे तसल्ली नहीं हुई। मैं चाहती हूं कि आप वहां जायें और शहर में गश्त करें तथा यह जानने की कोशिश करें कि हैवानियत के बीच क्या इंसानियत अभी ज़िन्दा है? उस समय केन्द्र और गुजरात प्रांत में अलग अलग पार्टियों की सरकारें थीं। श्री बी०एन० पांडे लिखते हैं कि मैं अहमदाबाद गया, करीब महीने भर वहां रहा, अस्पतालों में जाकर घायलों से मिला, मज़लूमों की दर्दनाक कहानियां सुन कर उनके आंसू पोंछने की कोशिश की। इस दंगे में लगभग छः हजार मकान जला दिए गए थे। वहां की सरकार के मुताबिक 350 लोग, मगर फौजी इंटेलिजेंस के मुताबिक कोई 2000 लोग मारे गए थे। अधिकतर मृतक अल्पसंख्यक वर्ग के थे। एक दिन श्री पांडे गश्त करते हुए मोमाबाई चाल (मुहल्ले) पहुंचे। उनके पहुंचने पर वहां लगभग सौ–डेढ़ सौ लोग जमा हो गए। उस चाल (मुहल्ले) के सभी मकान जले हुए थे। दो चार मकानों में अब भी धुआं निकल रहा था। मेरे पूछने पर पता चला कि वहां मात्र 35 घर ही मुसलमानों के थे बाकी 120 घर हिन्दुओं के थे। वहां के निवासी कल्याण सिंह से बात करते हुए पता चला कि हिन्दुओं की एक भीड़ बाहर से आई और हम लोगों से कहा कि मुसलमानों के घरों की पहचान करा दो ताकि हम हिन्दुओं के मकानों को छोड़ दें। मगर हम लोगों ने मकानों की पहचान कराने से साफ इनकार कर दिया। जिस के कारण उन्होंने सब ही मकानों पर पैट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। मैंने कल्याण सिंह से पूछा कि तुम लोगों ने मुसलमानों के मकानों की पहचान न कराने और अपना इतना बड़ा नुकसान करा बैठने का साहस कैसे जुटाया? कल्याण सिंह ने दो लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा कि हम और ये दोनों मुसलमान राजस्थान के सीकर जिले के एक ही गांव के रहने वाले हैं। पहले हम लोग यहां आकर बसे और अपना कारोबार जमाया फिर हमारे इन पड़ोसियों ने हमारे पास आकर बसने की इच्छा की तब हम इन्हें यहां ले आए। धीरे धीरे हमारे और इनके अन्य साथी यहां आते रहे, अच्छे कारीगर होने के कारण हम सब का काम अच्छा चल पड़ा, और हम सब अपने अपने घर बना कर यहां बसते चले गए। वर्षों से हम सब पर्याय मुहब्बत के साथ यहां मिल जुल कर रह रहे थे तो भला हम इनके घरों की निशानदेही कैसे कर सकते थे। श्री बी०एन० पांडे कहते हैं कि मेरा दिल भर आया, मैं ज़ब्त न कर सका और बोला कल्याण सिंह जब तक तेरे जैसे लोग भारत में हैं तब तक आपसी भाईचारे और सदभावना की जड़ों को कोई हिला नहीं सकता।

आज इस मुलाक़ात के 25 साल बाद हम देख रहे हैं कि इस देश की कुछ संस्थाओं ने सदभावना, प्रेम, मुहब्बत के वृक्ष की जड़ों को नफ़रत रूपी मट्ठा से इतना सींचा है और निरंतर सींच रहे हैं, कि गंगा जमुनी तहजीब का वृक्ष हिला भले न हो मगर सूख अवश्य रहा है। ◆◇◆

इस्लाम के अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक
अल्लामा यूसुफ अल–क़रज़ावी रह0

अबू मो0 आमिर नदवी

अल्लामा यूसुफ अल–क़रज़ावी का जन्म 1926 में मिस्र के गर्बिया प्रांत के एक गरीब मुस्लिम किसान परिवार में हुआ था वह दो साल की उम्र में अनाथ हो गये अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्हें उनके चचा ने पाला पोसा जब वे नौ साल के थे तब उन्होंने पूरा कुरआन कंठस्थ कर लिया था।

इसके बाद उन्होंने तनता में धार्मिक अध्ययन संस्थान में प्रवेश लिया और नौ साल के अध्ययन के बाद स्नातक की उपाधि प्राप्त की।

धार्मिक अध्ययन संस्थान से स्नातक होने के बाद वह काहिरा में अल–अजहर विश्व–विद्यालय में इस्लामी धर्मशास्त्र का अध्ययन करने के लिए चले गये, जहां से उन्होंने 1953 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने 1958 में आधुनिक अरबी अध्ययन संस्थान में अरबी भाषा और साहित्य में डिप्लोमा प्राप्त किया। उन्होंने धर्म के बुनियादी सिद्धान्तों (उसू अल–दीन) के संकाय के कुरआन और सुन्नत विज्ञान विभाग में स्नातक कार्यक्रम में दाखिला लिया, और कुर्आनिक अध्ययन में मास्टर डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की।

1977 में उन्होंने कतर विश्वविद्यालय में शरीअः और इस्लामी अध्ययन के संकाय की नींव रखी और संकाय के डीन बने। उसी वर्ष उन्होंने सीरत और सुन्ना अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की। उन्होंने कतर में शरीअः और शिक्षा के संकायों में इस्लामी विभाग के डीन के रूप में दोहा वापस जाने से पहले पर्यवेक्षक के रूप में धार्मिक मामलात मंत्रालय के तहत मिस्र के इमामों के संस्थान में भी काम किया, जहां उन्होंने 1990 तक काम किया। उनकी अगली नियुक्ति 1990–91 में अल्जीरिया में इस्लामिक विश्वविद्यालय और उच्च संस्थानों की वैज्ञानिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में हुई थी। वह कतर विश्वविद्यालय में सीरत और सुन्नत केन्द्र के निदेशक के रूप में एक बार फिर कतर लौट आए।

वह दोहा, कतर में स्थित मिस्र के एक इस्लामी विद्वान और अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम विद्वानों की संघ के अध्यक्ष थे। वह इब्ने तैमिया, इब्न कय्यिम, सैय्यद रशीद रज़ा, हसन अलबन्ना, अबुल हसन अली हसनी नदवी, अबुल आला मौदूद्दी से प्रभावित थे। वह अल जज़ीरा पर प्रसारित अपने कार्यक्रम ''शरीआ और जीवन'' के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते थे, उन्हें इस्लाम ऑनलाइन के लिए भी जाना जाता था।

1997 में अल क़रज़ावी ने फतवा और अनुसंधान के लिए यूरोपीय परिषद की स्थापना में मदद की, जो आयरलैंड में स्थित पश्चिमी मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों के समर्थन में शोध और लेखन के लिए समर्पित महत्वपूर्ण और प्रभावशाली मुस्लिम विद्वानों की एक परिषद है, और उन्होंने इसके प्रमुख के रूप में कार्य किया। उन्होंने इंटरनेशनल

यूनियन फॉर मुस्लिम स्कॉलर्स (IUMS) के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया।

अल क़रज़ावी 2008 के एक सर्वेक्षण में तीसरे स्थान पर रहे, जो दुनिया के 100 सार्वजनिक बुद्धिजीवी, प्रॉस्पेक्ट पत्रिका (यूके) और विदेश नीति (संयुक्त राज्य) के पाठकों के बीच आयोजित किया गया था।

अल क़रज़ावी ने 120 से अधिक पुस्तकें लिखीं जिसमें ''अल हलाल व हराम और ''इस्लाम द फ्यूचर सिविलाईजेशन'' शामिल हैं। इस्लामी छात्रवृत्ति में उनके योगदान के लिए उन्हें आठ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले, उन्हें सबसे प्रभावशाली इस्लामी विद्वानों में से एक माना जाता था। 26 सितम्बर 2022 की दोपहर को कतर में 96 वर्ष की आयु में उनका देहान्त हो गया इन्नालिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।

उनका देहान्त पूरे इस्लामी जगत के लिए बड़ा नुकसानदायक है अल्लाह उनके दरजात बलंद फरमाये और उनका अच्छा बदल उम्मत को अता फरमाये, आमीन

❖❖❖

पृष्ठ ..24... का शेष...

भीड़ की हिंसा जारी है
शासन पे वह भारी है
करदें वह मस्जिद मिस्मार
जिसको चाहें डालें मार
सज़ा नहीं वह पाते हैं
भीड़ में वह छुप जाते हैं
इससे मिलता है यह संदेश
जिसकी लाठी उसकी भैंस

कई साल से डॉक्टर साहब बीमार चल रहे थे, बार बार बीमारी के हमले होते, कितनी रातें और कितने दिन ऐसे गुज़रे जिसमें बराबर यह एहसास होता था कि ज़िन्दगी का यह आख़िरी दिन है, बड़ी हिम्मत वाले आदमी थे, आखिरत की यात्रा का ध्यान हर समय रहता, इन्तिक़ाल से दो साल पहले हालत बहुत बिगड़ गई, निराशा की कैफ़ियत हो गई, तबीअत ज़रा संभली दफ़्तर तशरीफ़ ले आए, रात की हालत बयान की और साथ ही साथ ''अहले नदवा को सलाम'' के उनवान से एक ''नज़्म'' कही जिसका इमला मुझे कराया, मैंने उसको सुरक्षित कर लिया और उस पर तारीख़ और समय नोट कर दिया वह यादग़ारी नज़्म आप की ख़िदमत में पेश है, नदवा वलों से डॉ0 साहब मरहूम का जो भावुक लगाव और संबंध था उसका इज़हार कविता के हर छंद से हो रहा है, इन्तिक़ाल के दिन यह कविता कमपोज़ कराकर नदवे के ज़िम्मेदारों की ख़िदमत में पेश किया, लोग हैरत में थे कि डॉक्टर साहब ने यह कविता किस समय कही, अभी तो उनके इन्तिक़ाल की इत्तिला आई है, गोया यह कविता ग़ैब की आवाज़ थीः–

अस्सलाम ऐ अहले नदवा अस्सलाम
मैं चला अपने वतन को वस्सलाम
कूच का अब वक़्त है बिल्कुल क़रीब
अब मुझे रुख़्सत करें और लें सलाम
एक मुद्दत से रहा ख़िदमत में हूँ
दर गुज़र कर दें खतायें वस्सलाम
मैं दुआओं का बहुत मोहताज हूँ
अब दुआएं दें मुझे और लें सलाम
गरचि बख़्शिश की मुझे उम्मीद है
फिर भी तो है ख़ौफ तारी या सलाम
मैं नबी–ए–पाक का हूँ उम्मती
रहमतें उन पर हों और लाखों सलाम

डॉ0 साहब ने अपने पीछे बेटे, बेटी, पोते, पोती, निवासे, निवासी पर आधारित एक भरा पुरा परिवार छोड़ा सबको पढ़ा लिखा बनाया– इसी प्रकार डॉ0 साहब एक आदर्श अध्यापक थे, उनके शागिर्दों की बहुत बड़ी संख्या देश विदेश में फैली हुई है जो उनके लिए बेहतरीन सद्क़ए जारिया है।

❖❖❖

जाड़ा और गर्मी

–हिन्दी लिपिः सईदा मतलूब

एक दिन जाड़े ने गर्मी से कहा
मैं भी हूँ क्या ख़ूब मौसम वाह वा
है बजा गर कीजिए मेरी सिफ़त
है रवा गर कीजिए मेरी सना
मैं जहां हूँ ज़े–बसे हर दिल अजीज़
माँगते हैं मेरे आने की दुआ
मेरे आने से न हो क्यों कर खुशी
क्या खुनक पानी है! क्या ठण्डी हवा
चाँदनी है बे कुदूरत बे गुबार
आसमां है साफ़ नीला खुशनुमा
रात गर्मी की तो कुछ होती न थी
दिन की मेहनत सब को देती थी थका
मेरी आमद ने किया शब को दराज़
मेरे आने ने दिया दिन को घटा
तू मुसाफिर का झुलस देती थी मुँह
और ज़मी तलुओं को देती थी जला
अब हवा भी और ज़मी भी सर्द है
खो दिया मैंने हरारत का पता
धूप का डर है न लू का खौफ़ है
इन दिनों की धूप है गोया ग़िज़ा
सूरज अब क़त्रा के जाता है निकल
फ़स्ले ताबिस्तां में था सर पर चढ़ा
है ह़ज़र में आज कल ऐश व निशात
है सफर भी इन दिनों राहत फ़ज़ा
मेरे दम से तन्दुरुस्ती बढ़ गई
पाई मुद्दत के मरीजों ने शिफ़ा
ज़ोअ़फ़े मेअ़दा की शिकायत मिट गई
बे दवा ख़ुद बढ़ गई है इश्तिहा
गर्म पोशाकों ने पाया अब रिवाज
मैंने बख्शा आन कर ख़िलअत नया

पिस्ता व बादाम व अंगूर व मवेज़
मेवा हर एक क़िस्म का बिकने लगा
तुख़्म रेज़ी जिनसे आ़ला की हुई
खेत में बोया गया गेहूँ चना
ईद की सी धूम है देहात में
पक गई ईख और कोल्हू चल पड़ा
उन्स है मेहनत मशक्कत से मुझे
काहिली को मैं नहीं रखता रवा
मेहनती हैं मुझ से ख़ुश मैं उन से ख़ुश
काहिलों का मैं नहीं हूं आशना
सुन के ये बातें हुई गर्मी भी तेज़
और जल कर यूँ जवाब उसको दिया
आप अपने मुँह मियाँ मिट्ठू न बन
ख़ुद सताई ऐब है ओ ख़ुद सता
उसको होता ही नहीं हासिल कमाल
जो कि अपने आप को समझे बड़ा
बा हुनर तो सरकशी करते नहीं
बल्कि सर को और देते हैं झुका
तेरी ख़ुद बीनी हुई तुझ को हिज़ाब
ख़ूबियों को मेरी समझा बदनुमा
तुझ से आलम में ख़िज़ाँ का है ज़ुहूर
मुझ से है फ़स्ले बहारी की बिना
तूने शाखों के लिए पत्ते खसोट
तूने पेड़ों को बरहना कर दिया
मेरे आने से फले फूले शजर
सबज़ पोशाक उनको मैंने की अ़ता
मैंने शाख़ों में लगाए बर्ग व बार
वरना था क्या उनमें लकड़ी के सिवा
खेत जाड़े भर तो कच्चे ही रहे
हाँ! मगर मैंने दिया उनको पका
तूने रखे थे बख़ीलों की तरह
बर्फ के तोदे पहाड़ों में छुपा
मैंने पिघला कर किया तक्सीम उन्हें
ताकि पहुँचे सबको फैज़ व फाइदा

ख़ुश्क चश्मे भर गए दरिया चढ़े
देख ले मेरा करम मेरी सख़ा
तुझ से थी मख़लूक़ में अफ़सुरदगी
कौन ख़ुश था? जुज़ गिरोहे अग़निया
मेरी आमद ने मसावी कर दिए
राहत व आराम में शाह व गदा
कर दिया मैंने रगों में ख़ूं रवां
ठंड से शल हो गऐ थे दस्त व पा
फेंक दी अब दल्क़ कोहना खल्क ने
गल्गला जो मेरी आमद का सुना
रात को रहती थी खिल्क़त घर में बंद
कर दिया उस बन्द से मैंने रिहा
मारी फिरती थीं बतें प्रदेश में
मैं हुई उनको वतन की रहनुमा
मैंने हिकमत से चलाईं आँधियाँ
ता बदल जाए मकानों की हवा
मैं समन्दर से उठाती हूँ बुखार
जिस से छा जाती है मुल्कों पर घटा
चेहर–ए–गरदूं को ये ग़र्द व गुबार
अब्र के आने का देता है पता
रात पर दिन को न क्यों तरजीह दूं
रात है तारीक़ दिन है पुर ज़िया
है हमेशा इब्तिदा मेरी बहार
है सदा बरसात मेरी इन्तिहा
थीं ग़रज़ दोनों की तकरीरें दराज़
और तूलानी बयाने माजरा
सुन के दोनों का कजिय्या और निज़ाअ़
एक दाना ने किया यूँ फैसला
कुछ नहीं है इसमें जाड़े का कुसूर
कुछ नहीं है इसमें गर्मी की ख़ता
जब ह़क़ीक़त पर नहीं होती नज़र
यूं ही रहता है बहम शिक्वा ग़िला
है हरारत की कमी बेशी फ़क़त
वरना जाड़ा कौन? और गर्मी है क्या

लहसुन खाएं पेट की समस्याएं दूर भगाएं

डॉ0 चारू बागा

पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे अपच, गैस और दर्द से बचने के लिए लहसुन का सेवन फायदेमंद माना जाता है। यह किसी औषधी से कम नहीं है। इसमें विटामिन बी6, विटामिन सी, विटामिन बी1, कैल्शियम, कॉपर, सेलेनियम आदि गुण पाए जाते हैं। शरीर में रोग प्रतिरोधक छमता बढ़ाने के लिए भी रोजाना खाली पेट इसकी दो कलियों का सेवन फायदेमंद माना जाता है। आइये जानते हैं लहसुन खाने से होने वाले फायदों के बारे में–

एसिडिटी दूर करेः–

पेट में हो रही एसिडिटी दूर करने के लिए लहसुन का काढ़ा पीना फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए काला नमक, लहसुन की कलियों का पेस्ट, हींग, अजवाइन को पानी में मिला कर उबालें। 5 मिनट तक पानी उबालने के बाद उसे छान लें। इस काढ़े को पीने से पाचन क्रिया भी बेहतर होगी।

लहसुन के सेवन से पेट की कई समस्याएं दूर हो सकती हैं। लेकिन इसके अधिक सेवन से कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए सीमित मात्रा में ही इसका प्रयोग करना बेहतर होगा।

गैस का इलाजः–

इसकी दो कलियाँ पानी के साथ सुबह खाली पेट निगल जाएं, तो पेट की गैस से छुटकारा मिल सकता है।

अपच से राहत दिलाएः–

अपच से छुटकारा पाने के लिए लहसुन कारगर उपाय है। काली मिर्च के साथ लहसुन को पानी में उबाल कर पीने से अपच से राहत मिलती है। इससे पेट में दर्द की समस्या भी दूर होगी।

पेट के कीड़ों से बचाएः–

इसमें एलिकिन पाया जाता है। इसके सेवन से पेट में कीड़ों की समस्या से बचाव संभव हो पाता है। इसके लिए गुनगुने पानी के साथ लहसुन के पाउडर का सेवन फायदेमंद होगा।

आँतों के लिए फायदेमंदः–

इसमें ऐंटीमाइक्रोबियल गुण होते हैं, जो हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए प्रभावी माना जाता है। इसका सीमित सेवन आँत के लिए फायदेमंद होता है।

❖❖❖

(आयुष चिकित्यालय,
कल्ली पश्चिम, लखनऊ)

अंतर्राष्ट्रीय समाचार

अबू मोहम्मद आमिर नदवी

भारतीय युवक ने 500 मीटर कागज के रोल पर हाथों से लिख दी कुर्आनः–

कश्मीर के एक युवक ने सराहनीय उपलब्धि हासिल करते हुए 500 मीटर लंबे कागज़ के रोल पर हाथों से पवित्र कुर्आन लिखा है। बांदीपोरा के फ्रंटीयर गुरेज के तुलैल इलाके के रहने वाले 27 साल के मुस्तफा–इब्न–जमील ने अनोखा कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने कड़ी मेहनत से 500 मीटर लंबे कागज पर कुर्आन लिख कर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। उन्होंने पिछले साल इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरु किया था।

मुस्तफ़ा का दावा है कि उनकी उपलब्धि को लिंकन बुक ऑफ रिकॉर्डस में दर्ज किया गया है लिंकन बुक ऑफ रिकॉर्डस ने अपनी ऑफीशियल वेबसाइट पर इसका उल्लेख किया है और इसके लिए उन्हें पुरस्कार भी दिया है। कागज की चौड़ाई 14.5 इंच और लंबाई 500 मीटर है। कश्मीर में रहने वाले फोटोजर्नलिस्ट बासित जरगर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें मुस्तफा का रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है।

सऊदी अरबः अगले साल तक देश की महिला को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारीः–

सऊदी अरब के शक्तिशाली क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की अगुवाई में बनी योजना में इस परम्परावादी मुस्लिम देश की महिलाओं की भी व्यापक पैमाने पर हिस्सेदारी का आह्वान किया गया है। उल्लेखनीय है कि सऊदी अरब ने 2018 में महिलाओं के ड्राविंग करने पर लगे प्रतिबंध को भी हटा लिया था। मालूम हो कि अरब से अंतरिक्ष में आने वाले पहले व्यक्ति सऊदी अरब के प्रिंस बिन सलमान थे जो क्राउन प्रिंस के सौतेले भाई और वायुसेना के पायलट हैं।

सलमान 1985 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंजी नासा के डिस्कवरी मिशन में चालक दल के सात सदस्यों में से एक थे। बाद में वह 2018 से 2021 तक सऊदी अंतरिक्ष आयोग के प्रमुख रहे। पिछले साल उन्हें किंग सलमान का सलाहकार नियुक्त किया गया था। सऊदी अंतरिक्ष आयोग ने एक बयान में कहा कि, सऊदी अंतरिक्ष यात्रा कार्यक्रम, जो कि किंगडम के महत्वकांक्षी विजन 2030 का एक अभिन्न अंग है, सऊदी अंतरिक्ष यात्रियों को मानवता की बेहतर सेवा में मदद करने के लिए अंतरिक्ष में भेजेगा। अंतरिक्ष यात्रियों में से एक सऊदी महिला भी होगी, जिसका अंतरिक्ष मिशन राज्य के लिए एक ऐतिहासिक पहल होगा। वहीं, सऊदी अरब के पड़ोसी देश संयुक्त अरब अमीरात में अरब दुनिया का प्रमुख अंतरिक्ष कार्यक्रम है। जिसने फरवरी 2021 में मंगल की कक्षा में एक जांच शुरु की है। यूएई ने नवम्बर में अपना पहला मून रोवर लॉन्च करने की योजना बनाई है।

कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की शानदार उपलब्धिः–

कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने पहला स्वर्ण 1958 में जीता था, उसके बाद से भारत ने कॉमनवेल्थ में पदकों की झड़ी लगा दी है, भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कुल 61 मेडल हासिल किए जिसमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल शामिल रहे, इस बार भारत ने चौथा स्थान हासिल किया। ◆◇◆

नदवतुल उलमा
पोस्ट बाक्स न0 93, टैगोर मार्ग,
लखनऊ -226007 (भारत)

ندوۃ العلماء
پوسٹ بکس ۹۳ - ٹیگور مارگ
لکھنؤ - ۲۲۶۰۰۷ (الہند)

दिनांक 25/12/2021 _____ تاریخ

स्टॉफ़ क्वाटर्स की तामीर के लिए अपील

अल्लाह तआला का शुक्र व एहसान है कि दारुल उलूम नदवतुल उलमा हज़रत मौलाना सैय्यद मो0 राबे हसनी नदवी दामत बरकातुहुम, नाज़िम नदवतुल उलमा की सरपरस्ती में अपनी इल्मी व दीनी, तालीमी व तरबियती ख़िदमत अंज़ाम दे रहा है, दारुल उलूम और उसकी ब्रांचों में इल्मी तालीमी सिलसिला बराबर जारी है, टीचर्स व स्टॉफ अपनी ज़िम्मेदारियों को अंजाम दे रहे हैं, टीचर्स व स्टॉफ की अधिकता की वजह से दारुलउलूम में उनके रहने की गुंजाइश नहीं रही तो दारुलउलूम के मेन कैम्पस के अलावा माहद सिकरौरी में स्टॉफ क्वाटर्स और माहद के करीब नदवा कालोनी की तीन मंज़िला बिल्ड़िंग तामीर हुई, मगर अब भी स्टॉफ के लिए क्वाटर्स की कमी बहुत ज़ियादा महसूस की जा रही है, इस सूरते हाल की वजह से नदवा मेन कैम्पस से करीब मुहल्ला मकारिम नगर में कुछ और स्टॉफ क्वाटर्स बनाने का फैसला किया गया है, और अल्लाह तआ़ला की मदद के भरोसे पर यह तामीर शुरु कर दी गयी है।
नये स्टॉफ क्वाटर्स की यह बिल्डिंग तीन मंजिला होगी, जिसमें 9 फेमली क्वाटर्स होंगे, इसकी तामीर पर 1,15,00000/– (एक करोड़ पंद्रह लाख) रूपये के खर्च का अंदाज़ा है, जो इंशाअल्लाह अहले खैर हज़रात के सहयोग से पूरा होगा।

हम उम्मीद करते हैं कि आप इस अहम ज़रूरत की ओर फौरन तवज्जोह फरमायेंगे और नदवतुल उलमा के कारकुनों का हाथ बटायेंगे।

हमें अल्लाह तआला की ज़ात पर पूरा भरोसा है कि उसकी मदद से यह काम मुकम्मल होगा।

मौलाना सै0 बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी
नाजिरे आ़म नदवतुल उलमा

(मौलाना डॉ0) तक़ीउद्दीन नदवी
मोतमद तालीम नदवतुल उलमा

डॉ0 मुहम्मद असलम सिद्दीक़ी
मोतमद माल नदवतुल उलमा

(मौलाना डॉ0) सईदुर्रहमान आज़मी नदवी
मोहतमिम नदवतुल उलमा

नोटः चेक/ड्राफ्ट पर केवल यह लिखें:
NADWATUL ULAMA
और इस पते पर भेजें:
NAZIM NADWATUL ULAMA
Nizamat Office, Nadwatul Ulama.
Tagore Marg, Lucknow-226007 (UP)

बरा–ए–करम अतियात भेजने के बाद रसीद हासिल करने के लिए नं0 **8736833376** पर इत्तिला ज़रूर करें।

नदवतुल उलमा
STATE BANK OF INDIA MAIN BRANCH, LUCKNOW
(IFSC: SBIN0000125)
–:तअ़मीरः–
A/C No. 10863759733

नोटः नदवतुल उलमा, लखनऊ को दिये गये चन्दे को **Section 80G income Tax act 1961**के तहत छूट प्राप्त होगी।
Online Donation Link: https://www.nadwa.in.donation/ Website: www.madwa.in, Email: nizamat@nadwa.in

RNI No. UPHIN/2002/0795
Regd. No. SSP/LW/NP-491/2021 To 2023
Dispatch Date :1 & 5
Published of 27th Advance Month
Dispatch: R.M.S Charbagh, Lucknow

MONTHLY
SACHCHA RAHI
Vol. 21 - Issue 10

Office Timing : 7:30 AM To 1:15PM
Tel.:(0522) 2740406
ISSN No. : 2582-4007
http://sachcha-rahi.nadwa.in
E-mail: sachcharahi2002@gmail.com

RK JEWELLERS
Renowned Name in Jewellery

Haji Abdul Rauf Khan
Haji Mohd. Faheem Khan
Mohd. Owais Khan

Shop : Sarai Bans, Akbari Gate,
Chowk, Lucknow - 226003
Ph.: 0522-2267910
+91-9415108039

R.K. Clinic Research CENTRE

R. K. CLINIC
& RESEARCH CENTRE

Dr. Mohammad Fahad Khan
M.D.

विशेषज्ञ

पेट एवं उदर रोग, श्वास एवं चेस्ट रोग, एण्ड्रोक्रायोनोलोजी एवं मधुमेह रोग

24 HOURS EMERGENCY SERVICES AVAILABLE

G-1, Aman Apartments, Chaupatiyan, Opp. Power House, Lucknow
Ph.: 0522-2651950, 9415006983